(पिम नियमावली का अंश)

अध्याय–1
जल उपभोक्ता समिति

1. **जल उपभोक्ता समिति के उद्देश्यः–** जल उपभोक्ता समिति का मुख्य उद्देश्य कृषकों की जल प्रबंधन मे भागीदारी के विकास के साथ साथ उनके मन मे नहर प्रणाली के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करना है । विनिर्दिष्ट रूप से जल उपभोक्ता समिति :–

(1) साम्यपूर्ण, दक्ष और सामयिक जल वितरण को प्रोत्साहित करेगी तथा उसकी सुरक्षा करेगी;

(2) वैज्ञानिक और मितव्ययी जल प्रयोग को व्यवहार मे लाने के लिए जल उपभोक्ताओं को बढ़ावा देगी;

(3) सतही और भू–गर्भ जल के सहयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करेगी;

(4) सघनीकरण तथा विविधीकरण आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी;

(5) पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करेगी।

(अधिनियम की धारा–4)

2. **जल उपभोक्ता समिति की संरचनाः–**

(1) प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति एक निगमित निकाय (Body corporate)[1] होगी। **(अधिनियम की धारा–3)**

(2) अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) सिंचाई विभाग के प्राधिकृत अधिकारी, जिसे अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार (निबंधक) की शक्तियॉ होंगी, द्वारा किया जाएगा (विस्तृत विवरण हेतु देखें **अध्याय–6**)। सिंचाई विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के उपरान्त जल उपभोक्ता समिति को रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट (पंजीकरण प्रमाण–पत्र) निर्गत किया जाएगा।

(3) नहर प्रणाली के निम्नलिखित स्तरों पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जाएगा।

क्र0 सं0	स्तर	जल उपभोक्ता समिति का सामान्य नाम	कार्यक्षेत्र
1.	कुलाबा	कुलाबा समिति	कुलाबा का कमाण्ड क्षेत्र

[1] विशिष्ट नाम वाली संस्था जिसे अपने नाम से काम–काज करने तथा उत्तरदायित्व वहन करने हेतु कानूनन मान्यता प्राप्त होगी।

2.	अल्पिका	अल्पिका समिति	अल्पिका का कमाण्ड क्षेत्र
3.	रजबहा	रजबहा समिति	रजबहा का कमाण्ड क्षेत्र
4.	शाखा	शाखा समिति	शाखा का कमाण्ड क्षेत्र
5.	परियोजना	परियोजना समिति	परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र

{अधिनियम की धारा–2(ax), 2(ay), 2(az), 2(aaa) एवं 2(abb) तथा धारा–6}

(4) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति की एक सामान्य सभा होगी तथा एक प्रबन्धन समिति होगी। सामान्य सभा एवं प्रबन्धन समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे–

क्र0 सं0	जल उपभोक्ता समिति का नाम	प्रबन्धन समिति / सामान्य सभा	सदस्य
1.	कुलाबा समिति	सामान्य सभा	कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू–स्वामी / असामी / उप–असामी / अपनी भूमि बंधक रखने वाला कब्जेदार / पट्टेदार (टेन्योर होल्डर) / अनुज्ञापी (लाइसेंसी) / भू–घृतिधारक (लीजी) और वह व्यक्ति जो सिंचाई का लाभग्राही हो
		प्रबन्धन समिति	• निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कुलाबा कमाण्ड के अधिकतम छः कुलाबा सब कमाण्डों से चुने हुए समस्त सदस्य। प्रत्येक सब कमाण्ड से सदस्य का निर्वाचन कुलाबा समिति की सामान्य सभा के उन सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कुलाबा सब कमाण्ड के अन्तर्गत आते हैं; • आरक्षित श्रेणी [2] तथा ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य परन्तु जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष का भू–धारक होना अनिवार्य होगा।
2.	अल्पिका समिति	सामान्य सभा	अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबों पर गठित कुलाबा समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत

[2] (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) महिला

		समिति	सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा अल्पिका की टेल पर स्थित ग्राम पंचायत का सहयोजित सदस्य
3.	फेडरेटेड अल्पिका समिति	सामान्य सभा	रजबहा अथवा शाखा से निकले सीधे कुलाबों के निर्धारित संख्या के समूह में आने वाले समस्त कुलाबों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा फेडरेटेड अल्पिका की टेल पर स्थित ग्राम पंचायत का सहयोजित सदस्य
4.	रजबहा समिति	सामान्य सभा	• रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं पर गठित अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य। • रजबहा से निकले सीधे कुलाबों के समूह पर गठित फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत का सहयोजित सदस्य
5.	फेडरेटेड रजबहा समिति	सामान्य सभा	शाखा से सीधे निकली अल्पिकाओं के निर्धारित संख्या के समूह में आने वाली समस्त अल्पिकाओं की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया की अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा फेडरेटेड रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत का सहयोजित सदस्य।

6.	शाखा समिति	सामान्य सभा	• शाखा से सम्बद्ध रजबहों पर गठित रजबहा समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य • शाखा से निकली अल्पिकाओं के समूह पर गठित फेडरेटेड रजबहा समितियों की प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्य। • शाखा से निकले सीधे कुलाबों के समूह पर गठित फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 08 सदस्य। • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा शाखा की टेल पर स्थित जिला पंचायत का सहयोजित सदस्य
7.	परियोजना समिति	सामान्य सभा	मुख्य नहर से सम्बद्ध शाखा समितियों के समस्त अध्यक्ष।
		प्रबन्धन समिति	परियोजना समिति के अध्यक्ष एवं सचिव।

(अधिनियम की धारा–2[(v), 2(ag) 7(2) तथा धारा–8 से 11 तथा नियमावली के नियम 5(1), 7 , 9 एवं 11)

अध्याय–2
जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ

3. **जल उपभोक्ता समिति की सामान्य शक्तियाँ** :–सभी स्तर की जल उपभोक्ता समितियों की सामान्य शक्तियाँ निम्नवत् होंगी–

(1) हस्तांतरित सिंचाई प्रणाली एवं जल निकास प्रणाली का प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना;

(2) अपने नियन्त्रण में सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए वे सभी उपाय करना जो आवश्यक, उचित एवं समीचीन हों;

(3) कृत्यों को पूर्ण करने के लिए भूमि में प्रवेश करना, बाधाओं को दूर करना, जल मार्ग को बन्द करना तथा आवश्यक अन्य उपाय करना;

(4) कृत्यों को पूर्ण करने के लिए किसी खड़ी फसल, बाड़ा या झाड़ी के किसी भाग की यथा आवश्यक कटाई व सफाई करना;

(5) नहर के जल के उपयोग का निरीक्षण करने अथवा विनियमित करने अथवा सिंचित भूमि की पैमाईश करने के निमित्त किसी भवन या जल मार्ग में प्रवेश करना;

(6) किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा उसकी आशंका की दशा में सम्बन्धित नहर से संलग्न भूमि पर प्रवेश करना तथा उसे रोकने हेतु आवश्यक कार्य करना। परन्तु यदि इस प्रकार की भूमि किसी भवन या निवास गृह से सटे हुए बाड़युक्त मैदान या उद्यान की भूमि हो और जिससे नहर के जल की आपूर्ति न की जाती हो, तो ऐसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व भवन, मैदान या उद्यान के अध्यासी को न्यूनतम 7 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी। प्रवेश की प्रत्येक स्थिति में जल उपभोक्ता समिति द्वारा प्रवेश के समय हुई किसी क्षति का विधिसम्मत दावा के सापेक्ष प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर के मूल्य पर विवाद की दशा में प्रकरण सक्षम नहर अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा जिसके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(अधिनियम की धारा–3 एवं 5)

4. **अल्पिका समिति की विशिष्ट शक्तियाँ** :– प्रस्तर–3 में उल्लिखित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त अल्पिका समिति की निम्न विशिष्ट शक्तियाँ होंगी–

(1) कुलाबा कमाण्ड में घटित नहर अपराधों की जाँच करना तथा जाँच करते समय यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराधों की विवेचना करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना; **(विस्तृत विवरण अध्याय–20)**

(2) कुलाबा कमाण्ड में घटित नहर अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रशमन फीस, जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक नहीं होगी, लेकर अपराध को अधिकतम दो बार माफ करना (अधिनियम की धारा 36);

(3) अनाधिकृत सिंचाई की दशा में प्रथम बार सामान्य जल दर का 10 गुना तथा इसकी पुनरावृत्ति पर 20 गुना अर्थदण्ड लगाना; **(विस्तृत विवरण अध्याय– 21)**

(4) अनाधिकृत सिंचाई तथा जल की बर्बादी के दोषी का चिन्हाँकन न हो पाने की दशा में सामूहिक दण्ड लगाना; **(विस्तृत विवरण अध्याय–21)**

(5) कुलाबा समिति की सामान्य सभा के सदस्य व उसकी प्रबन्धन समिति के सदस्य के मध्य, कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के मध्य तथा विभिन्न कुलाबा समिति के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना।

(6) जल की बर्बादी पर दण्ड लगाना; **(विस्तृत विवरण अध्याय–21)**

(7) अल्पिकाओं से सम्बन्धित मरम्मत, अनुरक्षण तथा समस्त सिविल कार्य (पुनर्स्थापना आदि) कराना; **(विस्तृत विवरण अध्याय–19)**

(8) उप समितियों का गठन करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–12)**

(9) सींच दर्ज करने एवं राजस्व एकत्रित करने तथा इस कार्यों हेतु आवश्यक कार्मिक नियुक्त करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–23 एवं 24)**

(10) पदाधिकारियों को मानदेय एवं भत्ते निर्धारित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–26)**

5. फेडरेटेड अल्पिका समिति की विशिष्ट शक्तियाँः–फेडरेटेड अल्पिका समिति की शक्तियाँ प्रस्तर–4 में वर्णित अल्पिका समिति की शक्तियों के समान होंगी। परन्तु भौतिक रूप में अल्पिका न होने के कारण उपरोक्त प्रस्तर–4(7) लागू नहीं होगा।

नोटः– राजस्व एकत्रित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

6. रजबहा समिति की विशिष्ट शक्तियाँ :– प्रस्तर–3 में उल्लिखित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त रजबहा समिति की निम्न विशिष्ट शक्तियाँ होंगी–

(1) अल्पिका पर घटित नहर अपराधों की जाँच करना तथा जाँच करते समय यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराधों की विवेचना करने

के लिए पुलिस थाने के प्रभारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–20)**

(2) अल्पिका पर घटित नहर अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रशमन फीस, जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक नहीं होगी, लेकर अपराध को अधिकतम दो बार माफ करना;

(3) अल्पिका समिति की सामान्य सभा के सदस्य व उसकी प्रबन्धन समिति के सदस्य के मध्य, अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के मध्य तथा विभिन्न अल्पिका समितियों के मध्य विवादों का समाधान करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–22)**

(4) रजबहा से सम्बन्धित मरम्मत, अनुरक्षण तथा समस्त सिविल कार्य (पुनर्स्थापना आदि) कराना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–19)**

(5) उप समितियों का गठन करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय–12)**

(6) अभियन्ता एवं लेखाकार की नियुक्ति करना;**(विस्तृत विवरण अध्याय– 26)**

(7) पदाधिकारियों को मानदेय एवं भत्ते निर्धारित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–26)**

7. **शाखा समिति की विशिष्ट शक्तियाँ :–** प्रस्तर–3 में उल्लिखित सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त शाखा समिति की निम्न विशिष्ट शक्तियाँ होंगी–

(1) रजबहा पर घटित नहर अपराधों की जाँच करना तथा जाँच करते समय यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराधों की विवेचना करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना; **(विस्तृत विवरण अध्याय–20)**

(2) नहर अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रशमन फीस, जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक नहीं होगी, लेकर अपराध को अधिकतम दो बार माफ करना **(अधिनियम की धारा 36);**

(3) रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के मध्य शाखा से निकली अल्पिकाओं की अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के मध्य एवं शाखा समिति की सामान्य सभा के सदस्यों तथा विभिन्न रजबहा समितियों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–22)**

अध्याय–3
जल उपभोक्ता समिति के कर्तव्य

8. **कुलाबा समिति के कर्तव्यः—**अधिनियम की धारा—5(2)(a) तथा 5(2)(b) के अन्तर्गत कुलाबा समितियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं—

(1) वर्ष में कम से कम दो बार (एक खरीफ फसल से पूर्व तथा एक रबी फसल से पूर्व) सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय—13);**

(2) जल मार्गों (गूल) तथा मैदानी नालियों (फील्ड ड्रेनों) का निर्माण करना और उसका अनुरक्षण करना;

(3) उपलब्ध जल का कुलाबा कमाण्ड के भू—धारकों के मध्य साम्यपूर्ण वितरण करना;

(4) जल वितरण प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना **(विस्तृत विवरण अध्याय—25)** ;

(5) सींच दर्ज करने में अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की सहायता करना **(विस्तृत विवरण अध्याय—25)** ;

(6) यथास्थित जल शुल्क एकत्रीकरण की कार्यवाही करना **(विस्तृत विवरण अध्याय—24);**

(7) अपने प्रभार के अधीन आस्तियों की सूची **परिशिष्ट—1** में तैयार करना एवं अनुरक्षित रखना;

(8) प्रक्षेत्र विकास से सम्बन्धित गतिविधियों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना;

(9) जल आय—व्ययक एवं मृदा की स्थिति के अनुसार फसल योजना तैयार करना;

(10) जल माँग प्रपत्र तैयार कर अल्पिका समिति/सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(11) अल्पिका समिति से आयतन आधारित जल प्राप्त करना तथा इसे भू—धारकों के मध्य साम्यपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से वितरित करना;

(12) अनाधिकृत सिंचाई एवं जल की बर्बादी की रोंकथाम करना तथा इसकी सामयिक सूचना अल्पिका समिति/सक्षम नहर अधिकारी को देना **(विस्तृत विवरण अध्याय—21)**;

(13) विवेचक अभिकरण (Investigation Agency-अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका समिति) द्वारा नहर अपराधों की जाँच में सहयोग करना **(विस्तृत विवरण अध्याय—20)**;

(14) जल सम्परीक्षा (Water Audit) सहित फसलवार/वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सामान्य सभा, अल्पिका समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(15) जल प्रयोग की स्थिति से सामान्य सभा को अवगत कराना तथा उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के लिए सामान्य सभा से सुझाव प्राप्त करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(16) कृषकों के मध्य विवादों/भिन्नताओं का समाधान करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–22)**;

(17) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कार्यवाही करना।

9. अल्पिका समिति के कर्तव्यः– अधिनियम की धारा–5(2)(a) तथा 5(2)(c) एवं धारा–16 के अन्तर्गत अल्पिका समितियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं–

(1) वर्ष में कम से कम दो बार (एक खरीफ फसल से पूर्व तथा एक रबी फसल से पूर्व) सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–13)** ;

(2) प्रत्येक फसल प्रारम्भ होने से पूर्व अपने अधीन सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण, विशेष अनुरक्षण एवं समस्त सिविल कार्य करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–19)** ;

(3) जल मार्गों (गूल) तथा मैदानी नालियों (फील्ड ड्रेनों) का निर्माण एवं अनुरक्षण कुलाबा समितियों से कराना एवं उनको सहयोग प्रदान करना;

(4) उपलब्ध जल का कुलाबों के मध्य साम्यपूर्ण वितरण करना;

(5) जल वितरण के प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–25)**;

(6) सींच दर्ज करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–23)** ;

(7) यथास्थित जल शुल्क एकत्रित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–24)**;

(8) अपने प्रभार के अधीन आस्तियों की सूची **परिशिष्ट–1** में तैयार करना एवं अनुरक्षित रखना ;

(9) प्रक्षेत्र विकास से सम्बन्धित गतिविधियों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना;

(10) जल आय–व्ययक एवं मृदा की स्थिति के अनुसार अल्पिका कमाण्ड की फसल योजना तैयार करना;

(11) जल मांग प्रपत्र तैयार कर रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(12) रजबहा समिति से आयतन आधारित जल प्राप्त करना तथा इसे कुलाबा समितियों के मध्य साम्यपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से वितरित करना;

(13) अनाधिकृत सिंचाई एवं जल की बर्बादी की रोंकथाम करना तथा इसकी सामयिक सूचना रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी को देना **(विस्तृत विवरण अध्याय–21)** ;

(14) विवेचक अभिकरण (Investigation Agency- रजबहा समिति) द्वारा नहर अपराधों की जाँच में सहयोग करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–20)** ;

(15) जल सम्परीक्षा (Water Audit) सहित फसलवार/वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सामान्य सभा, रजबहा समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)** ;

(16) नहर के आंकड़े तथा जल प्रयोग की स्थिति से सामान्य सभा को अवगत कराना तथा उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के सामान्य सभा से सुझाव प्राप्त करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(17) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा विभिन्न कुलाबा समितियों के मध्य उत्पन्न विवादों/भिन्नताओं का समाधान करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–22)** ;

(18) कुलाबा समिति के क्रिया–कलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;

(19) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कार्यवाही करना।

10. फेडरेटेड अल्पिका समिति के कर्तव्यः– अधिनियम की धारा–5(2)(a) तथा 5(2)(c) एवं धारा–16 के अन्तर्गत फेडरेटेड अल्पिका समितियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं–

(1) वर्ष में कम से कम दो बार (एक खरीफ फसल से पूर्व तथा एक रबी फसल से पूर्व) सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–13);**

(2) जल मार्गों (गूल) तथा मैदानी नालों (फील्ड ड्रेन) का निर्माण एवं अनुरक्षण कुलाबा समिति से कराना एवं उनको सहयोग प्रदान करना;

(3) उपलब्ध जल का कुलाबों के मध्य वितरण करना;

(4) जल वितरण के प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–25)**;

(5) सींच दर्ज करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–23)**;

(6) यथास्थित जल शुल्क एकत्रित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–24)**;

(7) प्रक्षेत्र विकास से सम्बन्धित गतिविधियों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना;

(9) जल आय–व्ययक एवं मृदा की स्थिति के अनुसार फेडरेटेड अल्पिका कमाण्ड की फसल योजना तैयार करना;

(10) जल मांग प्रपत्र तैयार कर रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(11) रजबहा समिति से आयतन आधारित जल प्राप्त करना तथा इसे कुलाबा समितियों के मध्य साम्यपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से वितरित करना;

(12) अनाधिकृत सिंचाई एवं जल की बर्बादी की रोंकथाम करना तथा इसकी सामयिक सूचना रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी को देना **(विस्तृत विवरण अध्याय–21)** ;

(13) विवेचक अभिकरण (Investigation Agency) (रजबहा समिति) द्वारा नहर अपराधों की जाँच में सहयोग करना**(विस्तृत विवरण अध्याय–20)** ;

(14) जल सम्परीक्षा (Water Audit) सहित फसलवार/वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सामान्य सभा, रजबहा समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(15) जल प्रयोग की स्थिति से सामान्य सभा को अवगत कराना तथा उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के सामान्य सभा से सुझाव प्राप्त करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–25)**;

(16) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा विभिन्न कुलाबा समितियों के मध्य उत्पन्न विवादों/भिन्नताओं का समाधान करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–22)** ;

(17) कुलाबा समिति के क्रिया–कलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;

(18) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कार्यवाही करना।

11. रजबहा समिति के कर्तव्यः– अधिनियम की धारा–5(2)(a) तथा 5(2)(d) एवं धारा–16 के अन्तर्गत रजबहा समितियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं–

(1) वर्ष में कम से कम दो बार (एक खरीफ फसल से पूर्व तथा एक रबी फसल से पूर्व) सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–13);**

(2) प्रत्येक फसल मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व अपने अधीन सिंचाई प्रणाली (रजबहा, ड्रेन व अन्य) का वार्षिक अनुरक्षण, विशेष अनुरक्षण एवं समस्त सिविल कार्य करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–19)**;

(3) उपलब्ध जल का अल्पिकाओं/फेडरेटेड अल्पिकाओं के मध्य जल का वितरण करना;

(4) जल वितरण के प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–25)**;

(5) अपने अधीन आस्तियों की सूची **परिशिष्ट–1** में तैयार करना एवं अनुरक्षित रखना ;

(6) प्रक्षेत्र विकास से सम्बन्धित गतिविधियों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन करना;

(7) जल आय–व्ययक एवं मृदा की स्थिति के अनुसार रजबहा कमाण्ड की फसल योजना तैयार करना;

(8) जल मांग प्रपत्र तैयार कर सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(9) सक्षम नहर अधिकारी से आयतन आधारित जल प्राप्त करना तथा इसे अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों के मध्य साम्यपूर्ण एवं पारदर्शी रूप से वितरित करना;

(10) अनाधिकृत सिंचाई एवं जल की बर्बादी की रोकथाम करना तथा इसकी सामयिक सूचना शाखा समिति/सक्षम नहर अधिकारी को देना **(विस्तृत विवरण अध्याय–21)** ;

(11) विवेचक अभिकरण (Investigation Agency- शाखा समिति) द्वारा नहर अपराधों की जाँच में सहयोग करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–20)** ;

(12) जल सम्परीक्षा (Water Audit) सहित फसलवार/वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सामान्य सभा, शाखा समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(13) नहर के आंकड़े तथा जल प्रयोग की स्थिति से सामान्य सभा को अवगत कराना तथा उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के लिए सामान्य सभा से सुझाव प्राप्त करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–27)**;

(14) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों तथा विभिन्न अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों के मध्य उत्पन्न विवादों/भिन्नताओं का समाधान करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–22)** ;

(15) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के क्रिया–कलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;

(16) अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कार्यवाही करना।

12. शाखा समिति के कर्तव्यः– अधिनियम की धारा–5(2)(d) के अर्न्तगत शाखा समितियों के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित हैं–

(1) वर्ष में कम से कम दो बार (एक खरीफ फसल से पूर्व तथा एक रबी फसल से पूर्व) सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करना **(विस्तृत विवरण अध्याय–13);**

(2) वार्षिक अनुरक्षण तथा यथास्थिति पूर्व एवं वर्तमान जल शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में यथास्थति रजबहा /अल्पिका/कुलाबा समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारियों को परामर्श देना;

(3) रजबहा/अल्पिका/कुलाबा समितियों तथा सक्षम नहर अधिकारियों से परामर्श करके नहर प्रचालन अनुसूचियाँ (रोस्टर) तैयार करना;

(4) सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) से परामर्श करके चक्रानुक्रम और सिंचाई अन्तरालों की संख्या पर विचार करते हुए प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ (फसल सीजन) होने से पूर्व शाखा के लिए जल आय–व्ययक और प्रारम्भिक सिंचाई कार्यक्रम के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस जारी करना ;

(5) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा/अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका कुलाबा समितियों की क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना एवं समन्वय करना।

13. परियोजना समिति के कर्तव्यः– जल प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों पर सक्षम नहर अधिकारी एवं शीर्ष समिति को परामर्श देना (अधिनियम की धारा– 5(2)(e))

विशेष नोटः–यदि किसी जल उपभोक्ता समिति के तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति का गठन नहीं हुआ है तो उस दशा में तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य सक्षम नहर अधिकारी में निहित होगी।

अध्याय–4
जल उपभोक्ता समितियों के परिचालन क्षेत्र (कार्यक्षेत्र) की अधिसूचना

14. **कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः–**सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 के अन्तर्गत कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना निम्नानुसार की जाएगी–

(1) कुलाबा कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र कुलाबा समिति का परिचालन क्षेत्र होगा।

(2) कुलाबा कमाण्ड का निर्धारण अथवा उपान्तरण (modification) जलीय (Hydraulic) और/अथवा प्रशासनिक (Administrative) आधार पर सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा सींचपाल की सहायता से तैयार कराया जाएगा तथा इसकी 31 आई0बी0 सक्षम स्तर (अधीक्षण अभियन्ता) से स्वीकृत कराई जाएगी।

(3) 31 आई0बी0 अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृत होने के पश्चात् सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा कुलाबा समिति के, उन कुलाबों को छोड़कर जिनका उपान्तरण किया गया है, कार्यक्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में प्रकाशित कराने के प्रयोजन से अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा खण्ड के समस्त सक्षम नहर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना को संकलित कर शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित किया जाएगा। अपने कार्यक्षेत्र के सभी कुलाबों की अधिसूचना का गजट में प्रकाशन का दायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा इसका अनुश्रवण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाएगा। अधिसूचना की तिथि से पूर्व कुलाबा कमाण्ड के मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ खण्ड पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(4) अधिसूचना/उपान्तरण को कुलाबा समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी परिचालन क्षेत्र में उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित कुलाबा समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रर्दशन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी;

(6) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि, जो अधिसूचना की तिथि से पूर्व निर्धारित हो, के भुगतान पर भू–धारकों को अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका/अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएगी।

(7) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपान्तरित किए गए भाग की पुनः अधिसूचना जारी की जाएगी;

(8) गजट में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

15. अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः– सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 के अन्तर्गत अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना निम्न प्रकार से की जाएगी–

(1) अल्पिका कमाण्ड (अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबों का संकलित कमाण्ड क्षेत्र) के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अल्पिका समिति का परिचालन क्षेत्र होगा।

(2) सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा अल्पिका समिति के, उन अल्पिकाओं को छोड़कर जिसका उपान्तरण किया गया है, परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में प्रकाशित कराने के प्रयोजन से अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा खण्ड के समस्त सक्षम नहर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना को संकलित कर शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित किया जाएगा। अधिसूचना की तिथि तक अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका कमाण्ड के मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ खण्ड पर

उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(3) अधिसूचना/उपान्तरण को अल्पिका समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) किसी परिचालन क्षेत्र में उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित अल्पिका समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(5) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका/अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएंगी।

(6) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपान्तरित किए गए भाग की पुनः अधिसूचना जारी की जाएगी।

(7) गजट में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति तथा एक प्रति सम्बन्धित रजबहा समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

16. फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः– रजबहा अथवा शाखा से सीधे निकले कुलाबों के समूह पर अल्पिका समिति के समकक्ष एक समिति का गठन किया जाएगा जिसको फेडरेटेड अल्पिका समिति कहा जाएगा। सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 तथा नियमावली के नियम 9(5), 9(6), 9(7)(i) तथा 11(7) एवं 11(8) के अन्तर्गत फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण एवं उसकी अधिसूचना निम्नानुसार की जाएगी–

(1) फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण रजबहा अथवा शाखा की रीचवार किया जाएगा अर्थात् फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र की सीमा रजबहा अथवा शाखा के रीच की सीमा के अन्दर ही होगी।

(2) रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या तीन अथवा तीन से अधिक होने पर रजबहा की रीच का निर्धारण अल्पिकाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस दशा में रीच का निर्धारण करते समय फेडरेटेड अल्पिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। रीचवार फेडरेटेड अल्पिका के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) यदि रजबहा के किसी रीच से सीधे निकले कुलाबों की संख्या 5 तक हो तो फेडरेटेड अल्पिका समिति का परिचालन क्षेत्र इन सभी कुलाबों के कमाण्ड क्षेत्र का संकलित क्षेत्र होगा।

(ख) यदि रजबहा के किसी रीच से सीधे निकले कुलाबों की संख्या 5 से अधिक है तो फेडरेटेड अल्पिका/अल्पिकाओं का परिचालन क्षेत्र रजबहा से सीधे निकले न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 10 कुलाबों का कुलाबा कमाण्ड क्षेत्र होगा।

(3) शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या तीन अथवा तीन से अधिक होने पर शाखा की रीच का निर्धारण रजबहों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस दशा में रीच का निर्धारण करते समय फेडरेटेड रजबहों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। रीचवार फेडरेटेड अल्पिका के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) यदि शाखा के किसी रीच से सीधे निकले कुलाबों की संख्या 5 तक हो तो फेडरेटेड अल्पिका समिति का परिचालन क्षेत्र इन सभी कुलाबों के कमाण्ड क्षेत्र का संकलित क्षेत्र होगा।

(ख) यदि शाखा के किसी रीच से सीधे निकले कुलाबों की संख्या 5 से अधिक है तो फेडरेटेड अल्पिका/अल्पिकाओं का परिचालन क्षेत्र शाखा से सीधे निकले न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 10 कुलाबों के कुलाबा कमाण्ड क्षेत्र का संकलित क्षेत्र होगा।

(4) रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या 3 से कम होने पर रजबहा के रीच निर्धारण में फेडरेटेड अल्पिका समिति को भी सम्मिलित किया जाता है। रीच का निर्धारण

फेडरेटेड अल्पिका समिति के परिचालन क्षेत्र के निर्धारण के बाद किया जाता है। इस दशा में फेडरेटेड अल्पिका समिति/समितियों का परिचालन क्षेत्र रजबहा से सीधे निकले न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10 कुलाबों का कुलाबा कमाण्ड क्षेत्र होगा।

(5) शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या 3 से कम होने पर शाखा के रीच निर्धारण में फेडरेटेड रजबहा समिति को भी सम्मिलित किया जाता है। रीच का निर्धारण फेडरेटेड रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र के निर्धारण के बाद किया जाता है। इस दशा में फेडरेटेड अल्पिका समिति/समितियों का परिचालन क्षेत्र शाखा से सीधे निकले अधिकतम 10 कुलाबों का कुलाबा कमाण्ड क्षेत्र होगा।

(6) सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा फेडरेटेड अल्पिका समिति के, उन फेडरेटेड अल्पिकाओं को छोड़कर जिसका उपान्तरण किया गया है, परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में प्रकाशित कराने के प्रयोजन से अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा। अधिशासी अभियन्ता द्वारा खण्ड के समस्त सक्षम नहर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना को संकलित कर शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित किया जाएगा। अधिसूचना की तिथि तक अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका कमाण्ड मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ खण्ड पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(7) अधिसूचना/उपान्तरण को फेडरेटेड अल्पिका समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) किसी परिचालन क्षेत्र के उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित अल्पिका समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(9) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को अल्पिका

समिति/फेडरेटेड अल्पिका/अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएंगी।

(10) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपान्तरित किए गए भाग की पुनः अधिसूचना जारी की जाएगी।

(11) गजट में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति तथा एक प्रति सम्बन्धित रजबहा समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

17. रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः– सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 के अन्तर्गत रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना निम्न प्रकार से की जाएगी–

(1) रजबहा कमाण्ड (रजबहा से सम्बद्ध समस्त अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का संकलित कमाण्ड) के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र रजबहा समिति का परिचालन क्षेत्र होगा।

(2) सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा रजबहा समिति के, उन रजबहों को छोड़कर जिनका उपान्तरण किया गया है, परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा। अधिसूचना, सक्षम नहर अधिकारी द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना की तिथि तक रजबहा कमाण्ड मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय तथा संबंधित खण्ड कार्यालयों पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(3) अधिसूचना/उपान्तरण को रजबहा समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) किसी परिचालन क्षेत्र में उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित रजबहा समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(5) गजट में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित रजबहा समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएगी।

(7) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2 को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपांतरित किए गए भाग की अधिसूचना पुनः जारी की जाएगी।

(8) यदि रजबहा किसी एक ही खण्ड के अन्तर्गत आती है तो अधिशासी अभियन्ता उसके सक्षम नहर अधिकारी तथा अधीक्षण अभियन्ता अपीलीय अधिकारी होंगे, परन्तु यदि रजबहा एक से अधिक खण्डों के अन्तर्गत आती है तो अधीक्षण अभियन्ता उसके सक्षम नहर अधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अपीलीय अधिकारी होंगे।

18. फेडरेटेड रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः– शाखा से सम्बद्ध अल्पिकाओं के समूह पर रजबहा समिति के समकक्ष गठित समिति को फेडरेटेड रजबहा समिति कहा जाएगा। सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 तथा नियमावली के नियम 11(5) एवं 11(6) के अन्तर्गत फेडरेटेड रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा–

(1) फेडरेटेड रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण शाखा की रीचवार किया जाएगा अर्थात् फेडरेटेड रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र की सीमा शाखा के रीच के अन्दर ही होगी।

(2) शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या तीन अथवा तीन से अधिक होने पर शाखा की रीच का निर्धारण रजबहों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस दशा में रीच का निर्धारण करते समय फेडरेटेड रजबहा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। रीचवार फेडरेटेड रजबहा के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) यदि शाखा के किसी रीच से सीधे निकली अल्पिकाओं की संख्या 5 तक हो तो फेडरेटेड रजबहा समिति का परिचालन क्षेत्र इन सभी अल्पिकाओं के कमाण्ड क्षेत्र का संकलित क्षेत्र होगा।

(ख) यदि शाखा के किसी रीच से सीधे निकली अल्पिकाओं की संख्या 5 से अधिक है तो फेडरेटेड रजबहा का परिचालन क्षेत्र शाखा से सीधे निकले न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 10 अल्पिकाओं के कमाण्ड का संकलित क्षेत्र होगा।

(3) सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा फेडरेटेड रजबहा समिति के, उन फेडरेटेड रजबहों को छोड़कर जिनका उपान्तरण किया गया है, परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में की जाएगी। अधिसूचना का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा। अधिसूचना, सक्षम नहर अधिकारी द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना की तिथि तक फेडरेटेड रजबहा कमाण्ड मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय तथा संबंधित खण्ड कार्यालयों पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(4) अधिसूचना उपान्तरण को फेडरेटेड रजबहा समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी परिचालन क्षेत्र में उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित फेडरेटेड रजबहा समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को

परिशिष्ट–4 में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(6) गजट में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित फेडरेटेड रजबहा समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को फेडरेटेड रजबहा समिति/सक्षम नहर अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाएगी।

19. **शाखा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना**:–सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 के अन्तर्गत शाखा समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना निम्नानुसार की जाएगी–

(1) शाखा कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र (शाखा से सम्बद्ध रजबहों, अल्पिकाओं एवं कुलाबों का संकलित कमाण्ड क्षेत्र) शाखा समिति का परिचालन क्षेत्र होगा।

(2) सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा शाखा समिति के, उन शाखाओं को छोड़कर जिनका उपान्तरण किया गया है, परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में **परिशिष्ट–2** के प्रारूप अनुसार प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना की तिथि तक शाखा कमाण्ड मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ संबंधित खण्डों तथा सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालयों पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसा कि सक्षम नहर अधिकारी उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(3) अधिसूचना/उपान्तरण को शाखा समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में खण्डवार व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) किसी परिचालन क्षेत्र में उपान्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित शाखा समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(5) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 10 दिन में उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपांतरित किए गए भाग की अधिसूचना पुनः जारी की जाएगी।

(7) यदि शाखा किसी एक ही मण्डल (वृत्त) के अन्तर्गत आती है तो अधीक्षण अभियन्ता उसके सक्षम नहर अधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अपीलीय अधिकारी होंगे, परन्तु यदि शाखा एक से अधिक मण्डलों के अन्तर्गत आती है तो मुख्य अभियन्ता स्तर–2 उसके सक्षम नहर अधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 अपीलीय अधिकारी होंगे।

20. **परियोजना समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचनाः–** सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–6 के अन्तर्गत परियोजना समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना निम्न की जाएगी–

(1) परियोजना कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र परियोजना समिति का परिचालन क्षेत्र होगा।

(2) सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा परियोजना समिति के परिचालन क्षेत्र की अधिसूचना, उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनका उपान्तरण किया गया है, शासकीय गजट (इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला साधारण गजट) में **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रारूप में प्रकाशन हेतु मुद्रणालय को प्रेषित की जाएगी। अधिसूचना की तिथि तक परियोजना कमाण्ड मानचित्र की प्रमाणित प्रतियाँ सक्षम नहर अधिकारी तथा संबंधित खण्डों के कार्यालयों पर उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेख, जैसाकि सक्षम नहर अधिकारी उचित समझे, भी रखा जाएगा।

(3) अधिसूचना/उपान्तरण को परियोजना समिति की कार्यवाही क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों में व्यापक रूप से **परिशिष्ट–3** के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) किसी परिचालन क्षेत्र में उपन्तरण (Modification) की अधिसूचना सम्बन्धित परियोजना समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू–धारकों को **परिशिष्ट–4** में किये गये प्रदर्शन की तिथि से 15 दिन तक सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही की जाएगी।

(5) किसी इच्छुक भू–धारकों द्वारा अधिसूचना की प्रति मांग किए जाने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित धनराशि के भुगतान पर भू–धारकों को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 10 दिन में उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) अधिसूचना अथवा उसके किसी भाग से व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से देते हुए अपील प्राप्त होने के 3 माह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित आदेश की तिथि से अधिसूचना उपान्तरित (Modified), यदि कोई उपान्तरण है तो, हो जाएगी तथा उपांतरित किए गए भाग की अधिसूचना पुनः जारी की जाएगी।

(6) प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) अपीलीय अधिकारी होंगे।

21. निर्वाचन के प्रयोजन से कुलाबा सब–कमाण्ड तथा अल्पिका, रजबाहा, शाखा की रीच का निर्धारण

(1) कुलाबा सब–कमाण्ड का निर्धारण– सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 की धारा–8 (1) तथा नियमावली के नियम 5 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक कुलाबा कमाण्ड के 6 कुलाबा सब–कमाण्ड होंगे, परन्तु जहाँ पर कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या छः से कम होगी वहाँ उतने कुलाबा सब कमाण्ड होंगे, जितने कि भू–स्वामियों की संख्या होगी। कुलाबा सब–कमाण्ड का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) जहाँ पर किसी कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या छः अथवा छः से अधिक होगी वहाँ पर कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू–धारकों को छः भागों (कुलाबा सब–कमाण्ड) में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक भाग में भू–धारकों की संख्या लगभग समान हो।

(ख) जहाँ पर किसी कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या छः से कम होगी वहाँ पर कुलाबा कमाण्ड को उतने ही कुलाबा सब कमाण्डों में विभाजित किया जाएगा जितने कि उस कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या होगी।

(ग) प्रत्येक सब–कमाण्ड के भू–धारकों की भूमि आपस में संस्पर्शी (Contiguous-आस–पास) होगी।

(घ) यदि किसी भू–धारक की भूमि कुलाबा कमाण्ड में इस प्रकार स्थित है कि उसकी समस्त भूमि किसी एक सब–कमाण्ड में नहीं आ सकती है तो उस भू–धारक की भूमि को उतने सब–कमाण्डों में रखी जाएगी, जितने सब–कमाण्डों में उसकी भूमि आएगी। ऐसा होने पर कमाण्ड के भू–धारकों की संख्या की गणना करते समय ऐसे भू–धारक को केवल एक ही बार गिना जाएगा।

(च) यदि किसी गाटा संख्या पर एक से अधिक भू–धारक हों तो उस गाटा के समस्त भू–धारकों को एक ही सब–कमाण्ड में रखा जाएगा।

(छ) उपरोक्त प्रस्तर–21(1)(क)(ख)(ग) के अनुसार निर्धारित कुलाबा सब–कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि को कुलाबा सब–कमाण्ड का क्षेत्र कहा जाएगा। कुलाबा सब–कमाण्ड में सम्मिलित भूमि के बाहरी खेतों की सीमा से होते हुए कुलाबा सब–कमाण्ड की सीमा रेखा कुलाबा कमाण्ड मानचित्र पर गहरे काले रंग की डॉटेड लाइन से दर्शायी जाएगी।

(2) **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका रीच का निर्धारण**–अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका की हेड/मिडिल/टेल रीच का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–7 में किए गए प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा (विस्तृत वर्णन के लिये अध्याय 5 देखें)। रीच का निर्धारण कर रीच की सीमा रेखा गहरे काले रंग की डैश डॉटेड लाइन से अल्पिका कमाण्ड मानचित्र पर खींची जाएगी।

(3) **रजबहा रीच का निर्धारण**– रजबहा की हेड/मिडिल/टेल रीच का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–9 में किए गए प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा (विस्तृत वर्णन के लिये अध्याय 5 देखें)। रीच का निर्धारण

कर रीच की सीमा रेखा गहरे काले रंग की फर्म लाइनसे रजबहा कमाण्ड मानचित्र पर खींची जाएगी।

(4) **शाखा रीच का निर्धारण–** शाखा की हेड/मिडिल/टेल रीच का निर्धारण उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–11 में किए गए प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा (विस्तृत वर्णन के लिये अध्याय 5 देखें)। रीच का निर्धारण कर रीच की सीमा रेखा गहरे काले रंग की डबल फर्म लाइनसे शाखा कमाण्ड मानचित्र पर खींची जाएगी।

अध्याय–5
जल उपभोक्ता समिति का गठन
(अधिनियम की धारा–7 से 12 एवं 24 तथा नियमावली के नियम–5 से 14 एवं 17)

22. **कुलाबा समिति का गठनः–**कुलाबा समिति के निर्धारित परिचालन क्षेत्र **(अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार)** हेतु कुलाबा समिति का गठन किया जाएगा। कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू–धारक कुलाबा समिति की सामान्य सभा के सदस्य होंगे। कुलाबा समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के संचालन हेतु एक कुलाबा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति कुलाबा समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **कुलाबा समिति की प्रबंधन समिति का गठनः–**प्रत्येक कुलाबा समिति की एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें कुलाबा कमाण्ड के प्रत्येक सब–कमाण्ड से एक निर्वाचित सदस्य (कुल अधिकतम 6 सदस्य) तथा आरक्षित श्रेणी के यथाआवश्यक सहयोजित सदस्य होगें।

(2) **सब–कमाण्ड के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाता**

(क) कुलाबा सब–कमाण्ड के सदस्यों (प्रतिनिधियों) के निर्वाचन हेतु उस सब–कमाण्ड के निम्नलिखित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों (सदस्यों) को ही मत देने का अधिकार होगा :–

(i) जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जाए या संशोधित की जाए उस वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

(ii) कुलाबा सब–कमाण्ड में भू–धारक हो। भू–धारक का आशय निम्न से है–

- खतौनी अथवा बन्दोबस्ती रजिस्टर के अनुसार भू–स्वामी; अथवा
- असामी / उप–असामी; अथवा
- गिरवी भूमि पर क़ाबिज़ व्यक्ति ; अथवा
- पट्टेदार; अथवा
- अनुज्ञापी ; अथवा
- लीज़ पर दी गई भूमि का धारक अथवा

- भू–स्वामी द्वारा नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर अथवा किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो सिंचाई से लाभान्वित हो रहा हो अथवा हो सकता है।

(iii) मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।

(iv) कुलाबा से जल प्राप्ति के लिए पात्र हो।

(v) किसी कानून के किसी प्राविधान के अधीन मतदान के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(vi) यदि कोई सदस्य अवयस्क है तो उसका नैसर्गिक संरक्षक मतदाता होगा परन्तु यदि नैसर्गिक संरक्षक पहले से ही मतदाता हो तो उसे केवल एक ही बार मत देने का अधिकार होगा।

(ख) यदि प्रस्तर–22(2)(क) में निर्धारित अर्हता रखने वाला कुलाबा कमाण्ड का कोई सदस्य एक से अधिक कुलाबा सब–कमाण्ड में सदस्य हो तो वह उन सभी सब–कमाण्डों में मतदाता होगा जिन सब–कमाण्डों में वह सदस्य है।

(3) कुलाबा सब कमाण्ड हेतु प्रत्याशी

(क) कुलाबा सब–कमाण्ड की मतदाता सूची में जिस सदस्य का नाम सम्मिलित होगा उसे कुलाबा सब–कमाण्ड से चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।

(ख) यदि कोई सदस्य एक से अधिक कुलाबा सब–कमाण्ड में मतदाता है तो उसे किसी एक ही सब–कमाण्ड से निर्वाचन लड़ने का अधिकार होगा।

(ग) यदि कोई सदस्य पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हेतु अनर्ह है तो वह कुलाबा समिति के प्रत्याशी हेतु भी अनर्ह होगा।

(घ) यदि कुलाबा कमाण्ड के किसी भू–धारक द्वारा गत तीन वर्षों से जल शुल्क नहीं जमा किया है तो वह प्रत्याशी हेतु अनर्ह होगा।

(4) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के पदाधिकारी

(क) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन हेतु एक बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें कुलाबा

समिति के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। बैठक की अध्यक्षता अवर अभियन्ता द्वारा की जाएगी। बैठक में प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक सचिव का चयन किया जाएगा, जो समिति के पदाधिकारी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव के चयन में सर्व–सम्मति न होने पर अवर अभियन्ता द्वारा मतदान के माध्यम से अध्यक्ष एवं सचिव का चयन कराया जाएगा। किसी पद के प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त होंने की दशा में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा विजेता का निर्णय टॉस के माध्यम से किया जाएगा। टॉस जिसके पक्ष में जाएगा उसे विजयी माना जाएगा।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा पदाधिकारियों के चयन हेतु बैठक की तिथि, स्थल एवं समय की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से दी जाएगी। बैठक का स्थल इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि निर्वाचित सदस्यों को न्यूनतम यात्रा करनी पड़े।

(ग) बैठक में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर बैठक निरस्त कर दी जाएगी तथा बैठक की अगली तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। दूसरी बैठक में 50 प्रतिशत की सीमा अनिवार्य नही होगी तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का चयन कर लिया जाएगा।

(घ) निर्वाचित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक एवं पदाधिकारियों के चयन की कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा **परिशिष्ट–5** पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता एवं संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

(च) कोई भी सदस्य एक से अधिक पदाधिकारी का पद धारण नहीं करेगा।

(छ) कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य (किसी भी स्तर की) समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

(ज) पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त उसी बैठक मे सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा अधोलिखित प्रस्तर –22(5) के अनुसार आरक्षित श्रेणी के

सहयोजन हेतु प्रबंधन समिति को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों मे यदि प्रथम बैठक मे आरक्षित श्रेणी के सहयोजन की कार्यवाही पूर्ण न हो सके तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किया जाएगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

(5) आरक्षित श्रेणी का सहयोजन

(क) प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त प्रथम बैठक में ही अथवा यथाशीघ्र आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सदस्यों के सहयोजन की कार्यवाही की जाएगी तथा जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा **परिशिष्ट–6** पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि सक्षम नहर अधिकारी, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कुलाबा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रबन्धन समिति के निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन कुलाबा समिति के समस्त निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी दशा में अध्यक्ष द्वारा जिसके पक्ष में मत दिया जाएगा उसे सहयोजित माना जाएगा।

(ख) निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा पंचायत सदस्य के निर्वाचित न होने की दशा मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला के सापेक्ष यथास्थिति एक सदस्य का तथा अध्यक्ष, जल प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत का सहयोजन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(ग) सहयोजित सदस्य का संबंधित कुलाबा कमाण्ड का भू–धारक होना अनिवार्य है। यदि किसी भू–धारक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो भी उसका सहयोजन यथाआवश्यक किया जा सकता है।

(घ) कुलाबा कमाण्ड में आरक्षित श्रेणी के सदस्य के भू–धारक न होने पर सहयोजन नहीं किया जाएगा।

(च) यदि कोई निर्वाचित सदस्य एक से अधिक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा पंचायत) की अर्हता रखता है तो वह सदस्य किसी एक ही आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। श्रेणी का निर्धारण उसके स्वयं द्वारा किया जाएगा। परन्तु महिला सदस्य द्वारा किसी अन्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व नही किया जा सकता है।

(छ) यदि कोई सहयोजित सदस्य एक से अधिक श्रेणी की अर्हता रखता है तो वह सदस्य किसी एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे सहयोजित सदस्य द्वारा अपनी श्रेणी के प्रतिनिधित्व का निर्धारण स्वयं द्वारा सहयोजन के समय किया जाएगा। यदि कोई महिला सदस्य किसी अन्य आरक्षित श्रेणी की है तो वह महिला का ही प्रतिनिधित्व करेगी तथा उसकी दूसरी श्रेणी के सापेक्ष एक अतिरिक्त सदस्य का सहयोजन किया जाएगा।

(ज) यदि आरक्षित श्रेणी का सदस्य सामान्य सभा में नहीं है तो उस श्रेणी के सापेक्ष सहयोजन नहीं किया जाएगा।

(झ) कुलाबा समिति में आरक्षित सदस्यों का सहयोजन रजबहा समिति के परिणाम की घोषणा के दिनांक से अधिकतम 01 माह अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा।

(6) प्रबन्धन समिति का कार्यकाल

(क) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा।

(ख) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति एवं उसके सदस्यों के कार्यकाल की गणना प्रबन्धन समिति की प्रथम बैठक के दिवस से की जाएगी।

(7) पदाधिकारियों का कार्यकाल

(क) पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन के दिवस से 2 वर्ष का होगा।

(ख) प्रत्येक दो वर्ष बाद अथवा पद रिक्त होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें गत पदाधिकारियों की निरन्तरता अथवा उनके बदलने की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन समिति के सदस्य उन्हीं पदाधिकारियों की निरन्तरता बनाये रख सकते हैं अथवा प्रबंधन समिति के दूसरे निर्वाचित सदस्यों को पदाधिकारी चयनित कर सकते हैं। पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रस्तर–22(4) के अनुसार होगी।

(ग) प्रस्तर–22(7)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** के प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को दी जाएगी।

(घ) यदि प्रस्तर–22(7)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से कोई पदधारक निवर्तमान पदाधिकारी हो जाता है तो वह प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में निर्धारित कार्यकाल तक बना रहेगा।

23. **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठनः–**अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के निर्धारित परिचालन क्षेत्र **(अध्याय–4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार)** हेतु अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन किया जाएगा। अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबा समितियों की प्रबंधन समितियों के सदस्य (निर्वाचित+सहयोजित) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति का गठनः–**प्रत्येक अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें अल्पिका के शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच से निर्धारित संख्या में निर्वाचित सदस्य तथा आरक्षित श्रेणी के यथाआवश्यक सहयोजित सदस्य होगें। अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या के आधार पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका को तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाले कुलाबों की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(क) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं टेल) में एक तिहाई कुलाबे आयेंगे।

(ख) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में कुलाबे आयेंगेः–

शीर्ष [(कुलाबों की संख्या–1)/3]+1

मध्य (कुलाबों की संख्या–1)/3

टेल (कुलाबों की संख्या–1)/3

(ग) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में कुलाबे आयेंगे–

शीर्ष [(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1

मध्य [(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1

टेल (कुलाबों की संख्या–2)/3

(2) **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका रीच के (प्रबंधन समिति के) सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाताः–**अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के किसी रीच के अन्तर्गत आने वाले कुलाबों पर गठित कुलाबा समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित तथा सहयोजित) के समस्त सदस्य उस रीच हेतु निर्धारित संख्या में प्रबंधन समिति के सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका रीच हेतु निर्धारित प्रबंधन समिति सदस्यों की संख्याः–**अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के प्रत्येक रीच से निर्वाचित होने वाले प्रबंधन समिति सदस्यों की संख्या निम्नानुसार होगी।

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका पर कुलाबों की संख्या	**शीर्ष भाग से** प्रबंधन समिति के सदस्यों **की संख्या**	**मध्य भाग से** प्रबंधन समिति के सदस्यों **की संख्या**	**टेल भाग से** प्रबंधन समिति के सदस्यों **की संख्या**	प्रबंधन समिति के सदस्यों **की कुल** संख्या
3-9	2	2	3	7
10-15	2	3	3	8
16-21	2	3	4	9
22-27	3	3	4	10
28-33	3	4	4	11
34-39	3	4	5	12
40-45	3	5	5	13
45 से अधिक	4	5	5	14

नोटः– यदि किसी अल्पिका से कोई अल्पिका निकलती है तो दोनो अल्पिकाओं को एक ही पैतृक नहर से निकला हुआ मानकर रीच का निर्धारण किया जाएगा।

(4) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका रीच के सदस्यों के मतों की संख्याः–

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के किसी रीच के प्रत्येक सदस्य को उस भाग में प्रबंधन समिति के सदस्यों की निर्धारित संख्या के बराबर प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा। यदि निर्वाचन निर्धारित पदों की संख्या से कम पदो ंके लिए हो रहा है तो किसी एक मतदाता के मतों की अधिकतम संख्या निर्वाचन हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या होगी।

(5) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के पदाधिकारीः–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति सदस्यों के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन हेतु एक बैठक आहूत की जाएगी जिसमें अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। बैठक की अध्यक्षता सहायक अभियन्ता द्वारा की जाएगी। बैठक में प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा जो समिति के पदाधिकारी कहलायेंगे। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन में सर्व–सम्मति न होने पर सहायक अभियन्ता द्वारा मतदान के माध्यम से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कराया जाएगा। यदि किसी पद के प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त हों तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा टॉस के माध्यम से विजेता का निर्णय किया जाएगा। टॉस जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में एक अतिरिक्त मत माना जाएगा।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा पदाधिकारियों के चयन हेतु बैठक की तिथि, स्थल एवं समय की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से दी जाएगी। बैठक के स्थल का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि सदस्य को न्यूनतम यात्रा करनी पड़े।

(ग) निर्वाचित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक एवं पदाधिकारियों के चयन की कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, तथा अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

(घ) कोई भी सदस्य एक से अधिक पदाधिकारी का पद धारण नहीं करेगा।

(च) कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य (किसी भी स्तर की) समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

(छ) पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त उसी बैठक मे सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा अधोलिखित प्रस्तर –22(6) के अनुसार आरक्षित श्रेणी के सहयोजन हेतु प्रबंधन समिति को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों मे यदि प्रथम बैठक मे आरक्षित श्रेणी के सहयोजन की कार्यवाही पूर्ण न हो सके तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किया जाएगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु प्रथम बैठक अथवा प्रत्येक दो वर्ष बाद की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में बैठक निरस्त कर दी जाएगी। परन्तु ऐसी बैठक अधिकतम दो बार ही निरस्त होगी। तीसरी बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी।

(6) आरक्षित श्रेणी का सहयोजन

(क) प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सदस्यों का सहयोजन की कार्यवाही **परिशिष्ट–6** के प्रारूप पर की जाएगी जिसकी प्रतियॉ सक्षम नहर अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेंगी। बैठक की अध्यक्षता अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रबन्धन समिति के निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति

का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के समस्त निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी दशा में अध्यक्ष द्वारा जिसके पक्ष में मत दिया जाएगा उसे सहयोजित माना जाएगा।

(ख) निर्वाचित सदस्यों में आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला) तथा अल्पिका के टेल पर स्थित ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचित न होने पर प्रत्येक आरक्षित श्रेणी एवं ग्राम पंचायत के सापेक्ष यथास्थिति एक सदस्य का सहयोजन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला के सापेक्ष सहयोजित सदस्य का अल्पिका समिति की सामान्य सभा का सदस्य होना अनिवार्य है परन्तु ग्राम पंचायत सदस्य का अल्पिका समिति की सामान्य सभा का सदस्य होना अनिवार्य नही है। यदि किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो भी उसका सहयोजन यथाआवश्यक किया जा सकता है।

(घ) यदि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला) का सदस्य सामान्य सभा में नहीं है तो उस श्रेणी के सापेक्ष सहयोजन नहीं किया जाएगा।

(च) यदि कोई निर्वाचित/सहयोजित सदस्य एक से अधिक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं ग्राम पंचायत) की अर्हता रखता है तो वह किसी एक ही आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। श्रेणी का निर्धारण उसके स्वयं द्वारा किया जाएगा। यदि कोई महिला सदस्य किसी अन्य आरक्षित श्रेणी की है तो वह महिला का ही प्रतिनिधित्व करेगी तथा उसकी दूसरी श्रेणी के सापेक्ष एक अतिरिक्त सदस्य का सहयोजन किया जाएगा।

(छ) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति में आरक्षित सदस्यों का सहयोजन रजबहा समिति के परिणाम की घोषणा के दिनांक से अधिकतम 01 माह अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा।

(7) प्रबंधन समिति का कार्यकाल

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा।

(ख) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति एवं उसके सदस्यों के कार्यकाल की गणना प्रबन्धन समिति की प्रथम बैठक के दिवस से की जाएगी।

(8) पदाधिकारियों का कार्यकाल

(क) पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन के दिवस से 2 वर्ष का होगा।

(ख) प्रत्येक दो वर्ष बाद अथवा पद रिक्त होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गत पदाधिकारियों की निरन्तरता अथवा उनके बदलने की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन समिति के सदस्य उन्हीं पदाधिकारियों की निरन्तरता बनाये रख सकते हैं अथवा प्रबंधन समिति के दूसरे निर्वाचित सदस्यों को पदाधिकारी चयनित कर सकते हैं। पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रस्तर–23(5) के अनुसार होगी।

(ग) प्रस्तर–23(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही का कार्यवृत्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** के प्रारूप पर जारी किया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के अध्यक्ष, अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

(घ) यदि प्रस्तर–23(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही मे कोई पदधारक निवर्तमान हो जाता है तो वह प्रबंध सदस्य के रूप मे सदस्य के निर्धारित कार्यकाल तक बना रहेगा।

24. विशिष्ट अल्पिका पर अल्पिका समिति का गठन–ऐसी अल्पिका जिससे दो अथवा दो से कम कुलाबा सम्बद्ध हों, को विशिष्ट अल्पिका कहा जाएगा। विशिष्ट अल्पिका पर अल्पिका समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

विशिष्ट अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबा समितियों की प्रबन्धन समितियों के सदस्य (निर्वाचित+सहयोजित) विशिष्ट अल्पिका समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। विशिष्ट अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति विशिष्ट अल्पिका के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **प्रबन्धन समिति का गठन**—प्रत्येक विशिष्ट अल्पिका समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसमें विशिष्ट अल्पिका की सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित तथा सहयोजित सदस्य होंगे। प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अल्पिका को शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच में विभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) **विशिष्ट अल्पिका की प्रबन्धन समिति के निर्वाचन हेतु मतदाता**—विशिष्ट अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों पर गठित कुलाबा समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित+सहयोजित) के समस्त सदस्य प्रबन्धन समिति के सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या**—विशिष्ट अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 03 होगी।

(4) **मतदाता के मतों की संख्या**—विशिष्ट अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं को अधिकतम 03 प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा।

(5) प्रस्तर–23(5), प्रस्तर–23(6), प्रस्तर–23(7) एवं 23(8) के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

25. **रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति का गठनः**—रजबहा/फेडरेटेड रजबहा के निर्धारित परिचालन क्षेत्र **(अध्याय–4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार)** हेतु रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति का गठन किया जाएगा। रजबहा/फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध समस्त अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबंधन समितियों के सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबंधन समिति रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबंधन समिति का गठनः**—प्रत्येक रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति की एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें

रजबहा/फेडरेटेड रजबहा के शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच से निर्धारित संख्या में निर्वाचित सदस्य तथा आरक्षित श्रेणी के यथाआवश्यक सहयोजित सदस्य होगें। रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्व अल्पिकाओं की संख्या के आधार पर रजबहा /फेडरेटेड रजबहा को तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाले अल्पिकाओं की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(क) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं टेल) में एक तिहाई अल्पिकाएं आयेंगी।

(ख) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में अल्पिकाएं आयेंगीः–

शीर्ष	{(अल्पिकाओं की संख्या–1)/3}+1
मध्य	(अल्पिकाओं की संख्या–1)/3
टेल	(अल्पिकाओं की संख्या–1)/3

(ग) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में अल्पिकाएं आयेंगी–

शीर्ष	{(अल्पिकाओं की संख्या–2)/3}+1
मध्य	{(अल्पिकाओं की संख्या–2)/3}+1
टेल	(अल्पिकाओं की संख्या–2)/3

(2) **रजबहा रीच /फेडरेटेड रजबहा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाताः–**रजबहा के किसी रीच के अन्तर्गत आने वाली अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित तथा सहयोजित) के समस्त सदस्य उस रीच हेतु निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **रजबहा /फेडरेटेड रजबहा रीच हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्याः–**रजबहा के प्रत्येक रीच से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निम्नानुसार होगी।

रजबहा /फेडरेटेड रजबहा की अल्पिकाओं की संख्या	शीर्ष भाग से प्रबन्ध समिति सदस्यों की निर्धारित संख्या	मध्य भाग से प्रबन्ध समिति सदस्यों की निर्धारित संख्या	टेल भाग से प्रबन्ध समिति सदस्यों की निर्धारित संख्या	प्रबन्ध समिति सदस्यों की कुल संख्या
3-9	2	2	3	7
10-15	2	3	3	8
16-21	2	3	4	9
22-27	3	3	4	10
28-33	3	4	4	11
34-39	3	4	5	12
40-45	3	5	5	13
45 से अधिक	4	5	5	14

नोटः– यदि किसी रजबहा से कोई रजबहा निकलती है तो दोनों रजबहों को एक ही पैतृक नहर से निकला हुआ मानकर रीच का निर्धारण किया जाएगा।

(4) रजबहा /फेडरेटेड रजबहा रीच के सदस्यों के मतों की संख्याः–रजबहा के किसी रीच के प्रत्येक सदस्य को उस भाग में प्रबंधन समिति सदस्यों की निर्धारित संख्या के बराबर प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा। यदि निर्वाचन निर्धारित पदों की संख्या से कम पदो के लिए हो रहा है तो किसी एक मतदाता के मतों की अधिकतम संख्या निर्वाचन हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या होगी।

(5) रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा की प्रबन्धन समिति के पदाधिकारीः–

(क) रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) द्वारा प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन हेतु एक बैठक आहूत की जाएगी जिसमें रजबहा समिति के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। बैठक की अध्यक्षता सक्षम नहर अधिकारी द्वारा की जाएगी। बैठक में प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा जो समिति के पदाधिकारी कहलायेंगे। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन में सर्व–सम्मति न होने पर सक्षम

नहर अधिकारी द्वारा मतदान के माध्यम से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष व का चयन कराया जाएगा। किसी पद के प्रत्याशियों के पक्ष में बराबर मत पड़ने की दशा में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा टॉस के माध्यम से विजेता का निर्णय किया जाएगा। टॉस जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में एक अतिरिक्त मत माना जाएगा।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) द्वारा पदाधिकारियों के चयन हेतु बैठक की तिथि, स्थल एवं समय की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से दी जाएगी। बैठक के स्थल का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि सदस्यों को न्यूनतम यात्रा करनी पड़े।

(ग) निर्वाचित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक एवं पदाधिकारियों के चयन की कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) द्वारा **परिशिष्ट–5** पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, तथा अधीक्षण अभियन्ता /मुख्य अभियन्ता स्तर –2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को दी जाएगी।

(घ) कोई भी सदस्य एक से अधिक पदाधिकारी का पद धारण नहीं करेगा।

(च) कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य (किसी भी स्तर की) समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

(छ) पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त उसी बैठक मे सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता) द्वारा अधोलिखित प्रस्तर–25(6) के अनुसार आरक्षित श्रेणी के सहयोजन हेतु प्रबंधन समिति को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों मे यदि प्रथम बैठक मे आरक्षित श्रेणी के सहयोजन की कार्यवाही पूर्ण न हो सके तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किया जाएगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता स्तर–2 द्वारा किया जाएगा। पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु प्रथम बैठक अथवा प्रत्येक दो वर्ष बाद की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा की

स्थिति में बैठक निरस्त कर दी जाएगी। परन्तु ऐसी बैठक अधिकतम दो बार ही निरस्त होगी। तीसरी बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी।

(6) आरक्षित श्रेणी का सहयोजन

(क) प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सदस्यों के सहयोजन की कार्यवाही **परिशिष्ट–6** के प्रारूप पर की जाएगी जिसकी प्रतियॉ संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेंगी। बैठक की अध्यक्षता रजबहा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रबन्धन समिति के निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन रजबहा समिति के समस्त निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी दशा में अध्यक्ष द्वारा जिसके पक्ष में मत दिया जाएगा उसे सहयोजित माना जाएगा।

(ख) निर्वाचित सदस्यों में आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला) तथा रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत के सदस्य के निर्वाचित न होने पर प्रत्येक आरक्षित श्रेणी एवं क्षेत्र पंचायत के सापेक्ष यथास्थिति एक सदस्य का सहयोजन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला के सापेक्ष सहयोजित सदस्य का रजबहा समिति की सामान्य सभा का सदस्य होना अनिवार्य है परन्तु क्षेत्र पंचायत के सदस्य का रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की सामान्य सभा का सदस्य होना अनिवार्य नही है। यदि किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो भी उसका सहयोजन यथाआवश्यक किया जा सकता है।

(घ) यदि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला के सापेक्ष) का सदस्य सामान्य सभा में नहीं है तो उस श्रेणी के सापेक्ष सहयोजन नहीं किया जाएगा।

(च) यदि कोई निर्वाचित/सहयोजित सदस्य एक से अधिक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं क्षेत्र पंचायत) हेतु अर्हता रखता है तो वह सदस्य किसी एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे सहयोजित सदस्य द्वारा अपनी श्रेणी के प्रतिनिधित्व का निर्धारण स्वयं द्वारा किया जाएगा। यदि कोई महिला सदस्य किसी अन्य आरक्षित श्रेणी की है तो वह महिला का ही प्रतिनिधित्व करेगी तथा उसकी दूसरी श्रेणी के सापेक्ष एक अतिरिक्त सदस्य का सहयोजन किया जाएगा।

(छ) रजबहा समिति में आरक्षित सदस्यों का सहयोजन रजबहा समिति के परिणाम की घोषणा के दिनांक से अधिकतम 01 माह अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा।

(7) प्रबंधन समिति का कार्यकाल

(क) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा।

(ख) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति एवं उसके सदस्यों के कार्यकाल की गणना प्रबन्धन समिति की प्रथम बैठक के दिवस से की जाएगी।

(8) पदाधिकारियों का कार्यकाल

(क) पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन के दिवस से 2 वर्ष का होगा।

(ख) प्रत्येक दो वर्ष बाद अथवा पद रिक्त होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गत पदाधिकारियों की निरन्तरता अथवा उनके बदलने की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन समिति के सदस्य उन्हीं पदाधिकारियों की निरन्तरता बनाये रख सकते हैं अथवा प्रबंधन समिति के दूसरे निर्वाचित सदस्यों को पदाधिकारी चयनित कर सकते हैं। पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रस्तर–25(5) के अनुसार होगी।

(ग) प्रस्तर– 25(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** के प्रारूप पर जारी की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपियाँ संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेंगी

(घ) यदि उपरोक्त प्रस्तर–25(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही मे कोई पदधारक निवर्तमान हो जाता है तो वह प्रबंध सदस्य के रूप मे सदस्य के निर्धारित कार्यकाल तक बना रहेगा।

26. **विशिष्ट रजबहा पर रजबहा समिति का गठन**–ऐसी रजबहा जिससे दो अथवा दो से कम अल्पिका सम्बद्ध हों, को विशिष्ट रजबहा कहा जाएगा। विशिष्ट रजबहा पर रजबहा समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

विशिष्ट रजबहा से सम्बद्ध अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के सदस्य (निर्वाचित+सहयोजित) विशिष्ट रजबहा समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। विशिष्ट रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति विशिष्ट रजबहा के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **प्रबन्धन समिति का गठन**–प्रत्येक विशिष्ट रजबहा समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसमें विशिष्ट रजबहा की सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित तथा सहयोजित सदस्य होंगे। प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु रजबहा को शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच में विभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) **विशिष्ट रजबहा की प्रबन्धन समिति के निर्वाचन हेतु मतदाता**– विशिष्ट रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं पर गठित अल्पिका समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित+सहयोजित) के समस्त सदस्य प्रबन्धन समिति के सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या**– विशिष्ट रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 03 होगी।

(4) **मतदाता के मतों की संख्या**– विशिष्ट रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं को अधिकतम 03 प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा।

(5) प्रस्तर–25(5), प्रस्तर–25(6) प्रस्तर–25(7) एवं 25(8) के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

27. शाखा समिति का गठनः–शाखा के निर्धारित परिचालन क्षेत्र (**अध्याय–4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार**) हेतु शाखा समिति का गठन किया जाएगा। शाखा से सम्बद्ध समस्त रजबहा, शाखा से सीधे निकली अल्पिकाओं के समूह पर गठित फेडरेटेड रजबहा समिति एवं शाखा से सीधे निकली कुलाबों के समूह पर गठित फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबंधन समितियों के सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) शाखा समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। शाखा समिति की प्रबंधन समिति शाखा समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) शाखा समिति की प्रबंधन समिति का गठन :–प्रत्येक शाखा समिति की एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें शाखा के शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच से निर्धारित संख्या में निर्वाचित सदस्य तथा आरक्षित श्रेणी के यथाआवश्यक सहयोजित सदस्य होगें। शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या के आधार पर शाखा को तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाले रजबहों की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(क) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं टेल) में एक तिहाई रजबहे आयेंगे।

(ख) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में रजबहे आयेंगेः–

शीर्ष	{(रजबहों की संख्या–1)/3}+1
मध्य	(रजबहों की संख्या–1)/3
टेल	(रजबहों की संख्या–1)/3

(ग) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में रजबहे आयेंगे–

शीर्ष	{(कुलाबों की संख्या–2)/3}+1
मध्य	{(कुलाबों की संख्या–2)/3}+1
टेल	(कुलाबों की संख्या–2)/3

(2) **शाखा रीच के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाता**:–शाखा के किसी रीच के अन्तर्गत आने वाले रजबहा, फेडरेटेड रजबाहा एवं फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित तथा सहयोजित) के समस्त सदस्य उस रीच हेतु निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **शाखा रीच हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्या**:–शाखा के प्रत्येक रीच से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निम्नानुसार होगी–

रजबहों की संख्या	शीर्ष भाग से पदों की संख्या	मध्य भाग से पदों की संख्या	टेल भाग से पदों की संख्या	कुल पद
3-9	2	2	3	7
10 अथवा 10 से अधिक	2	3	3	8

नोट–यदि किसी शाखा से कोई शाखा निकली है तो दोंनो शाखाओं को एक ही पैतृक नहर से निकला हुआ मानकर रीच का निर्धारण किया जाएगा।

(4) **शाखा रीच के सदस्यों के मतों की संख्या**:–शाखा के किसी रीच के प्रत्येक सदस्य को उस भाग में प्रबंधन समिति सदस्यों की निर्धारित संख्या के बराबर प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा। यदि निर्वाचन निर्धारित पदों की संख्या से कम पदो ंके लिए हो रहा है तो किसी एक मतदाता के मतों की अधिकतम संख्या निर्वाचन हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या होगी।

(5) **शाखा समिति की प्रबन्धन समिति के पदाधिकारी**:–

(क) शाखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन हेतु एक बैठक आहूत की जाएगी जिसमें शाखा समिति के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। बैठक की अध्यक्षता सक्षम नहर अधिकारी द्वारा की जाएगी। बैठक में प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक सचिव तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन किया जाएगा जो समिति के पदाधिकारी कहलायेंगे। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन में सर्व–सम्मति न होने पर अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2 द्वारा मतदान के माध्यम से अध्यक्ष,

सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कराया जाएगा। बराबर मत पड़ने की दशा में तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा टॉस के माध्यम से विजेता का निर्णय किया जाएगा। टॉस जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में एक अतिरिक्त मत माना जाएगा।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा पदाधिकारियों के चयन हेतु बैठक की तिथि, स्थल एवं समय की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप से दी जाएगी। बैठक के स्थल का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि सदस्यों को न्यूनतम यात्रा करनी पड़े।

(ग) निर्वाचित प्रबंध समिति की प्रथम बैठक एवं पदाधिकारियों के चयन की कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा **परिशिष्ट–5** पर दिये गये प्रारूप पर निर्गत की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपि समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, संबंधित अधिशासी तथा अधीक्षण अभियन्ता/अभिन्यताओं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को दी जाएगी।

(घ) कोई भी सदस्य एक से अधिक पदाधिकारी का पद धारण नहीं करेगा।

(च) कोई भी पदाधिकारी किसी अन्य (किसी भी स्तर की) समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

(छ) पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त उसी बैठक मे सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा अधोलिखित प्रस्तर–6 के अनुसार आरक्षित श्रेणी के सहयोजन हेतु प्रबंधन समिति को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों मे यदि प्रथम बैठक मे आरक्षित श्रेणी के सहयोजन की कार्यवाही पूर्ण न हो सके तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयत्न किया जाएगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता स्तर–2 द्वारा किया जाएगा। पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु प्रथम बैठक अथवा प्रत्येक दो वर्ष बाद की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में बैठक निरस्त कर दी जाएगी। परन्तु ऐसी बैठक अधिकतम दो बार

ही निरस्त होगी। तीसरी बैठक में निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी।

(6) आरक्षित श्रेणी का सहयोजन

(क) प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के चयन के उपरान्त आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सदस्यों के सहयोजन की कार्यवाही कर **परिशिष्ट–6** के प्रारूप पर की जाएगी जिसकी प्रतियॉ संबंधित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता/अभियन्ताओं, मुख्य अभियन्ता स्तर–2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेंगी। बैठक की अध्यक्षता शाखा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रबन्धन समिति के निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन शाखा समिति के समस्त निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी दशा में अध्यक्ष द्वारा जिसके पक्ष में मत दिया जाएगा उसे सहयोजित माना जाएगा।

(ख) निर्वाचित सदस्यों में आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला) तथा शाखा की टेल पर स्थित जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचित न होने पर प्रत्येक आरक्षित श्रेणी एवं जिला पंचायत के सापेक्ष यथास्थिति एक सदस्य का सहयोजन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला के सापेक्ष सहयोजित सदस्य का शाखा समिति की सामान्य सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो भी उसका सहयोजन यथाआवश्यक किया जा सकता है।

(घ) यदि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला के सापेक्ष) का सदस्य सामान्य सभा में नहीं है तो उस श्रेणी के सापेक्ष सहयोजन नहीं किया जाएगा।

(छ) यदि कोई निर्वाचित/सहयोजित सदस्य एक से अधिक आरक्षित श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं जिला पंचायत) अर्हता

रखता है तो वह सदस्य किसी एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे सहयोजित सदस्य द्वारा अपनी श्रेणी के प्रतिनिधित्व का निर्धारण स्वयं द्वारा किया जाएगा। यदि कोई महिला सदस्य किसी अन्य आरक्षित श्रेणी की है तो वह महिला का ही प्रतिनिधित्व करेगी तथा उसकी दूसरी श्रेणी के सापेक्ष एक अतिरिक्त सदस्य का सहयोजन किया जाएगा।

(ज) शाखा समिति में आरक्षित सदस्यों का सहयोजन शाखा समिति के परिणाम की घोषणा के दिनांक से अधिकतम 01 माह अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा।

(7) प्रबंधन समिति का कार्यकाल

(क) शाखा समिति की प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा।

(ख) शाखा समिति की प्रबन्धन समिति एवं उसके सदस्यों के कार्यकाल की गणना प्रबन्धन समिति की प्रथम बैठक के दिवस से की जाएगी।

(8) पदाधिकारियों का कार्यकाल

(क) पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके निर्वाचन के दिवस से 2 वर्ष का होगा।

(ख) प्रत्येक दो वर्ष बाद अथवा पद रिक्त होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गत पदाधिकारियों की निरन्तरता अथवा उनके बदलने की कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन समिति के सदस्य उन्हीं पदाधिकारियों की निरन्तरता बनाये रख सकते हैं अथवा प्रबंधन समिति के दूसरे निर्वाचित सदस्यों को पदाधिकारी चयनित कर सकते हैं। पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया प्रस्तर–27(5) के अनुसार होगी।

(ग) प्रस्तर– 27(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–5** के प्रारूप पर जारी की जाएगी तथा इसकी प्रतिलिपियॉ संबंधित अधिशासी अभियन्ता /अभियन्ताओं , अधीक्षण अभियन्ता/अभियन्ताओं , मुख्य अभियन्ता स्तर–2 तथा संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेंगी ।

(घ) यदि प्रस्तर 27(8)(ख) के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही मे कोई पदधारक निवर्तमान हो जाता है तो वह प्रबंध सदस्य के रूप मे सदस्य के निर्धारित कार्यकाल तक बना रहेगा।

28. **विशिष्ट शाखा पर शाखा समिति का गठन**–ऐसी शाखा जिससे दो अथवा दो से कम रजबहा सम्बद्ध हों, को विशिष्ट शाखा कहा जाएगा। विशिष्ट शाखा पर शाखा समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

विशिष्ट शाखा से सम्बद्ध रजबहा समितियों की प्रबन्धन समितियों के सदस्य (निर्वाचित़ एवं सहयोजित) विशिष्ट शाखा समिति की सामान्य सभा का गठन करेंगे। विशिष्ट शाखा समिति की प्रबन्धन समिति विशिष्ट शाखा के अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

(1) **प्रबन्धन समिति का गठन**–प्रत्येक विशिष्ट शाखा समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसमें विशिष्ट शाखा की सामान्य सभा द्वारा निर्वाचित तथा सहयोजित सदस्य होंगे। प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु शाखा को शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच में विभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) **विशिष्ट शाखा की प्रबन्धन समिति के निर्वाचन हेतु मतदाता**– विशिष्ट शाखा से सम्बद्ध रजबहों पर गठित रजबहा समिति की प्रबन्धन समितियों (निर्वाचित+सहयोजित) के समस्त सदस्य प्रबन्धन समिति के सदस्यों का निर्वाचन अपने में से करेंगे।

(3) **प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या**– विशिष्ट शाखा समिति की प्रबन्धन समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 03 होगी।

(4) **मतदाता के मतों की संख्या**– विशिष्ट शाखा समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं को अधिकतम 03 प्रत्याशियों के पक्ष में मत देने का अधिकार होगा।

(5) प्रस्तर–27(5), प्रस्तर–27(6), प्रस्तर–27(7) एवं 27(8) के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

29. परियोजना समिति का गठन एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल:—मुख्य नहर से निकलने वाली समस्त शाखा नहरों पर गठित शाखा समितियों के अध्यक्ष परियोजना समिति के सदस्य होंगे। परियोजना समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का चुनाव निम्न प्रकार किया जाएगा:—

(1) जहाँ परियोजना समिति में दो सदस्य होंगे वहाँ आपस में परामर्श कर एक अध्यक्ष एवं दूसरा सदस्य सचिव बन जाएगा।

(2) जहाँ परियोजना समिति में दो से अधिक सदस्य होंगे वहाँ सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर—2) द्वारा आहूत बैठक में सर्वसम्मति अथवा बहुमत द्वारा अध्यक्ष एवं सचिव का चयन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सक्षम नहर अधिकारी द्वारा की जाएगी। बराबर मत पड़ने की दशा में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा टॉस के माध्यम से विजेता का निर्णय किया जाएगा। टॉस जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में एक अतिरिक्त मत माना जाएगा।

(3) अध्यक्ष एवं सचिव परियोजना समिति के गठन अथवा पुनर्गठन की तिथि से 6 वर्ष के लिये पद धारण करेंगे।

30. शीर्ष समिति

(1) राज्य स्तर पर सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा जिसमें प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग; प्रमुख सचिव, वित्त विभाग; आयुक्त, ग्राम विकास विभाग; आयुक्त, समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण; सचिव, भूगर्भ जल विभाग; प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग; निदेशक, कृषि विभाग; निदेशक, वाल्मी; पिम प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के पिम विशेषज्ञ तथा निदेशक पिम सेल द्वारा नामित उच्चस्थ स्तर की 10 जल उपभोक्ता समितियों के अध्यक्ष होंगे। निदेशक, पिम इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(2) शीर्ष समिति द्वारा निम्नवत् कार्य किए जाएंगे—

- कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के बाद बैठक करना;
- निदेशक, पिम के प्रस्तावों पर निर्णय लेना;
- पिम संबंधी नीतिगत निर्णय लेना;
- पिम की कठिनाइयों को दूर करना;

- पिम का अनुश्रवण एवं मूल्याँकन करना;
- पिम विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- जल उपभोक्ता समितियों के फण्ड की स्थिति की समीक्षा करना।

31. **रीच के निर्धारण एवं जल उपभोक्ता समितियों के गठन की विशेष परिस्थितियाँ**–शाखा से शाखा, रजबहा से रजबहा तथा अल्पिका से अल्पिका निकलने को विशेष परिस्थिति माना जाएगा। विशेष परिस्थिति में अल्पिका, रजबहा तथा शाखा के रीच निर्धारण एवं जल उपभोक्ता समितियों के गठन में निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में रखे जाएंगे–

(1) यदि किसी अल्पिका से कोई अल्पिका निकलती है तो दोनों अल्पिकाओं पर अलग–अलग अल्पिका समिति का गठन किया जाएगा। पैतृक अल्पिका पर अल्पिका समिति के गठन हेतु रीच निर्धारण करते समय पैतृक अल्पिका से निकली अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(2) यदि किसी रजबहा से कोई रजबहा निकलती है तो दोनों रजबहों पर अलग–अलग रजबहा समिति का गठन किया जाएगा। पैतृक रजबहा पर रजबहा समिति के गठन हेतु रजबहा रीच का निर्धारण करते समय पैतृक रजबहा से निकली अल्पिकाओं का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(3) यदि किसी रजबहा से निकली किसी अल्पिका से कोई अल्पिका निकलती है तो रजबहा रीच का निर्धारण यह मानकर किया जाएगा कि दोनों अल्पिकाएं एक ही पैतृक रजबहा से निकल रही हैं।

(4) यदि किसी शाखा से कोई शाखा निकलती है तो दोनों शाखाओं पर अलग–अलग शाखा समिति का गठन किया जाएगा। पैतृक शाखा पर शाखा समिति के गठन हेतु शाखा रीच के निर्धारण के समय पैतृक शाखा से निकली रजबहों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(5) यदि किसी शाखा से निकली किसी रजबहा से कोई रजबहा निकलती है तो शाखा रीच का निर्धारण यह मानकर किया जाएगा कि दोनों रजबहे एक ही पैतृक शाखा से निकल रही हैं।

नोटः– प्रत्येक खण्ड द्वारा एक समिति इन्वेन्ट्री पंजिका अनुरक्षित की जाएगी। जिसमें जल उपभोक्ता समितियों से सम्बन्धित विवरण यथा समिति का नाम, गठन की तिथि, कार्यकाल की अन्तिम तिथि,

पंजीकरण संख्या, पदाधिकारियों के कार्यकाल की अन्तिम तिथि, सामान्य सभा के सदस्यों की संख्या, प्रबन्धन समिति के सदस्यों का विवरण तथा कार्यक्षेत्र में आने वाले ग्रामों की संख्या आदि होगा। समिति इन्वेन्ट्री पंजिका का प्रारुप **परिशिष्ट–7** के अनुसार होगा।

अध्याय–6
जल उपभोक्ता समिति का पंजीकरण

32. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा–3 एवं नियमावली के नियम 35–**(1)ध** के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। पंजीकरण में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :–

(1) पंजीकरण अधिकारी :–

(i) कुलाबा समिति तथा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता निबन्धक का कार्य करेंगे।

(ii) रजबहा समिति के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता निबन्धक का कार्य करेंगे।

(iii) शाखा समिति के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 निबन्धक का कार्य करेंगे।

(iv) परियोजना समिति के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–1 निबन्धक का कार्य करेंगे

(2) पंजीकरण करने हेतु आवश्यक अभिलेख :–

(i) प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के पंजीकरण हेतु एक पत्रावली तैयार की जाएगी जिसमें निम्न अभिलेख होंगे –

- जल उपभोक्ता समिति के परिचालन क्षेत्र (कार्यक्षेत्र) की अधिसूचना की प्रति **(परिशिष्ट–2 की प्रतिलिपि)**
- निर्वाचित सदस्यों की सूची (नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल सं0)
- पदाधिकारियों के चयन की कार्यवाही का अभिलेख **(परिशिष्ट–5 की प्रतिलिपि)**
- सहयोजन की कार्यवाही का अभिलेख **(परिशिष्ट–6 की प्रतिलिपि)**
- सदस्यों के हस्ताक्षर का नमूना **(परिशिष्ट–8 पर दिये प्रारूप पर)** जो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो
- अन्य अभिलेख जैसा निबंधक उचित समझें

(3) **पंजीकरण पंजिका :–**निबन्धक के कार्यालय में एक पंजिका अनुरक्षित की जाएगी जिसमें पंजीकृत जल उपभोक्ता समिति का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका का प्रारूप **परिशिष्ट–9** के अनुरूप होगा।

(4) **पंजीकरण प्रमाण–पत्र :–**पंजीकरण पंजिका में पंजीकृत जल उपभोक्ता समिति का पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–10** के अनुसार होगा।

(5) **हस्ताक्षर का नमूनाः–**प्रत्येक सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की जल उपभोक्ता समितियों के सदस्यों के हस्ताक्षर का नमूना एक पंजिका में रखा जाएगा। हस्ताक्षर नमूना पंजिका निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट–8** के अनुसार होगी।

(6) **पंजीकरण शुल्कः–** जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण निःशुल्क किया जाएगा।

(7) **पंजीकरण संख्याः–**पंजीकरण संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगाः–

पंजीकरण संख्या– पंजीकरण पंजिका की पृष्ठ संख्या /समिति का नाम/पैतृक नहर का नाम/खण्ड का नाम/वर्ष

(8) **जल उपभोक्ता समितियों के नाम का निर्धारण :–** जल उपभोक्ता समितियों के नाम का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

(i) कुलाबा समिति – ...../कुलाबा समिति .....
(पैतृक नहर का नाम) (कुलाबा सं0)

(ii) अल्पिका समिति – .....अल्पिका समिति
(अल्पिका का नाम)

(iii) फेडरेटेड अल्पिका समिति – .....फेडरेटेड अल्पिका समिति
(उस गाँव का नाम जिसके अन्तर्गत फेडरेटेड अल्पिका का टेल कुलाबा आता है)

(iv) रजबहा समिति – ..... रजबहा समिति
(रजबहा का नाम)

(v) फेडरेटेड रजबहा समिति – .....फेडरेटेड रजबहा समिति
(उस गाँव का नाम जिसके अन्तर्गत फेडरेटेड रजबहा की टेल अल्पिका का शीर्ष स्थित है)

(vi) शाखा समिति – .....शाखा समिति

(शाखा का नाम)

(vii) परियोजना समिति – .....परियोजना समिति

(परियोजना का नाम)

अध्याय–7
जल उपभोक्ता समिति को भंग/पुनर्गठित करना

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम 2009 की धारा 18(5)(iii) एवं 47 तथा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम 28 के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियों को भंग करने की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी–

33. कुलाबा समिति का भंग किया जानाः–

(1) **अक्षमता के आधार पर** :–यदि कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) के सहयोग के उपरान्त भी असफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी प्रबन्धन समिति को भंग करने तथा नई प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार कर सकता हैः

(क) सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) कुलाबा समिति के कार्यों का मूल्याँकन पहले तथा दूसरे फसल सीजन तक निम्नलिखित तथ्यों पर करेगा :–

(i) दो सामान्य सभा की बैठक तथा पाक्षिक नियमित बैठक का आयोजन करना;

(ii) समिति के अभिलेखों का रख–रखाव करना।

सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) यदि कुलाबा समिति के कार्यों मे कमी पाएं तो वह उसे दूर करने/सुधारने मे समिति की सहायता करेगा। कुलाबा समिति को सुधारने तथा उसकी सहायता करने संबंधी आख्या एवं समिति की मूल्याँकन आख्या सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार (कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के अंत में) कुलाबा समिति तथा अल्पिका समिति को दी जाएगी।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी तीसरे एवं चौथे फसल के मौसम में निम्न आधार पर मूल्याँकन करेगाः–

(i) कुलाबा कमाण्ड के सभी उपक्षेत्रों में उपलब्ध जल का साम्यपूर्ण वितरण;

(ii) कुल देय जल शुल्क व वसूले गये जल शुल्क का अनुपात;

(iii) सींच दर्ज का विवरण समय से प्रस्तुत करना/कराना;

(iv) नहर पर किये गये अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही;

(v) अनाधिकृत जल उपयोग के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

नोटः—जल शुल्क मॉफ होने की दशा में उक्त प्रस्तर—33(1)(ख)(ii) लागू नहीं होगा।

(ग) पैरा—33(1)(ख) के अनुसार लगातार दो फसल सीजन तक कार्यों के मूल्यांकनों के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी यदि कुलाबा समितियों की कार्य निष्पादन में वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं तो सक्षम नहर अधिकारी सम्बन्धित कुलाबा समिति को निम्न प्रक्रिया के अनुसार विघटित करने की कार्यवाही कर सकता हैं :

(i) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कुलाबा समिति के अध्यक्ष को कुलाबा समिति के विघटन हेतु नोटिस दिया जाएगा;

(ii) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सूचना के 15 दिवस के उपरान्त सम्बन्धित कुलाबा समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति की मूल्याँकन आख्या एवं समिति को दिये गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा, गणपूर्तियुक्त, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर मतदान की गोपनीयता को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा बनाये रखा जा सकता है। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग करने की कार्यवाही का कार्यवृत्त **परिशिष्ट—11** पर दिये गये प्रारूप पर जारी किया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि निवर्तमान अध्यक्ष, कुलाबा समिति/अल्पिका समिति, कुलाबा समिति के निबंधक तथा अपीलीय अधिकारियों तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर किया जाएगा।

(2) **अनियमितता के आधार पर**:—यदि कुलाबा समिति की प्रबंध समिति की कार्य प्रणाली अनियमित प्रतीत होती है तो सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा सम्बन्धित निबंधक (अधिशासी अभियन्ता) तथा अल्पिका समिति को सूचित किया जाएगा। निबंधक, यदि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर यह विचार करता है कि कुलाबा समिति की कार्यकारिणी भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो वह कुलाबा समिति को भंग करने हेतु सक्षम नहर अधिकारी को निदेश देगा। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने पर कुलाबा समिति की प्रबंध समिति को भंग करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायेगा;

(i) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में तुरन्त पैतृक अल्पिका समिति/समीपवर्ती अल्पिका समितियों के किन्हीं दो सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जो निबन्धक द्वारा तय समय सीमा में प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या तैयार करेगी।

(ii) यदि समिति के दृष्टिकोण में सम्बन्धित प्रबन्धन समिति भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो सक्षम नहर अधिकारी निबंधक की पूर्व अनुमति लेकर प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने की घोषणा करेगा। तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन 6 माह के अन्दर करेगा।

34. अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का भंग किया जाना:—

(1) अक्षमता के आधार पर :—यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) के सहयोग के उपरान्त भी असफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) प्रबन्धन समिति को भंग करने तथा नई प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार कर सकता है:—

(क) सक्षम नहर अधिकारी अल्पिका समितियों के कार्यों का मूल्याँकन लगातार दो फसल सीजन तक निम्नलिखित तथ्यों पर करेगा :—

(i) दो सामान्य सभा की बैठक तथा पाक्षिक नियमित बैठक का आयोजन करना;

(ii) शेड्यूल बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना;

(iii) परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की विवरणी का रख–रखाव;

(iv) प्रत्येक क्रय तथा विक्रय सम्बन्धी सामग्री के लेखों का रख–रखाव करना;

(v) संप्रेक्षण आख्या तथा जॉच आख्या की प्रतियों का रख–रखाव;

(vi) शिकायती पंजिका का रख–रखाव;

(vii) रोकड़ बही, पास बुक, चेक बुक को अध्यावधिक रखना;

(xiii) समिति के अभिलेखों का रख–रखाव।

सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) यदि समिति के कार्यों मे कमी पाये तो वह उसे दूर करने/सुधारने मे समिति की सहायता करेगा। समिति को सुधारने तथा उसकी सहायता करने संबंधी आख्या एवं समिति की मूल्याँकन आख्या सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार (कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के अंत में) अल्पिका/फेडरेटड अल्पिका समिति तथा रजबहा समिति को दी जाएगी।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी तीसरे एवं चौथे फसल सीजन में निम्न आधार पर मूल्याँकन करेगाः–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के शीर्ष, मध्य तथा अन्तिम छोर के उपक्षेत्र (रीच) में उपलब्ध जल का साम्यतापूर्ण वितरण;

(ii) कुल देय जल शुल्क व वसूले गये जल शुल्क का अनुपात;

(iii) परिचालन तथा अनुरक्षण कार्यों में की गई मितव्ययता;

(iv) वित्तीय संप्रेक्षण तथा लेखा पुस्तकों का अध्यावधिक रख रखाव;

(v) सक्षम नहर अधिकारी को सींच दर्ज का विवरण समय से प्रस्तुत करना;

(vi) नहर पर किये गये अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही;

(vii) अनाधिकृत जल उपयोग के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

नोटः–जल शुल्क मॉफ होने की दशा में उक्त प्रस्तर–33(1)(ख)(ii) लागू नहीं होगा।

(ग) पैरा–34(1)(ख) के अनुसार लगातार दो फसल सीजन तक कार्यों के मूल्याँकनों के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों की कार्य निष्पादन में वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं तो सक्षम नहर अधिकारी सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति को निम्न प्रक्रिया के अनुसार विघटित करने की कार्यवाही कर सकते हैं :

(i) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को उसके विघटन हेतु नोटिस दिया जाएगा;

(ii) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सूचना के 15 दिवस के उपरान्त सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति की मूल्याँकन आख्या एवं समिति को दिये गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा, गणपूर्तियुक्त, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर मतदान की गोपनीयता को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा बनाये रखा जा सकता है।

सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग करने की कार्यवाही का कार्यवृत्त **परिशिष्ट–11** पर दिये गये प्रारूप पर जारी किया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि निवर्तमान अध्यक्ष, अल्पिका समिति/रजबहा समिति, समिति के निबंधक तथा अपीलीय अधिकारियों तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर किया जाएगा।

(2) **अनियमितता के आधार पर**:–यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति की कार्य प्रणाली अनियमित प्रतीत होती है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित निबंधक तथा रजबहा समिति को सूचित किया जाएगा। निबंधक, यदि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर यह विचार करता है कि अल्पिका/फेडरेटेड

अल्पिका समिति की कार्यकारिणी भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो वह अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को भंग करने हेतु सक्षम नहर अधिकारी को निदेश देगा। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति को भंग करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएगा–

(i) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा तुरन्त अपनी अध्यक्षता में किसी रजबहा समिति/रजबहा समितियों की प्रबन्धन समिति के किन्ही दो सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। समिति निबन्धक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या तैयार करेगी।

(ii) यदि समिति के दृष्टिकोण में सम्बन्धित प्रबन्धन समिति भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो सक्षम नहर अधिकारी निबंधक की पूर्व अनुमति लेकर प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने की घोषणा करेगा तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन 6 माह के अन्दर करेगा।

35. रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति का भंग किया जानाः–

(1) अक्षमता के आधार पर :–यदि रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) के सहयोग के उपरान्त भी असफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी प्रबन्धन (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) समिति को भंग करने तथा नई प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार कर सकता हैः

(क) सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति के कार्यों का मूल्याँकन लगातार दो फसल सीजन तक निम्नलिखित तथ्यों पर करेगा :–

(i) दो सामान्य सभा की बैठक तथा पाक्षिक नियमित बैठक का आयोजन करना;

(ii) शेड्यूल बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना;

(iii) परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की विवरणी का रख–रखाव;

(iv) प्रत्येक क्रय तथा विक्रय सम्बन्धी सामग्री के लेखों का रख–रखाव करना;

(v) जल शुल्क सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव

(vi) संप्रेक्षण आख्या तथा जाँच आख्या की प्रतियों का रख–रखाव;

(vii) शिकायती पंजिका का रख–रखाव;

(viii) रोकड़ बही, पास बुक, चेक बुक को अध्यावधिक रखना;

(ix) समिति के अभिलेखों का रख–रखाव।

सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) यदि समिति के कार्यों मे कमी पाये तो वह उसे दूर करने/सुधारने मे समिति की सहायता करेगा। समिति को सुधारने तथा उसकी सहायता करने संबंधी आख्या एवं समिति की मूल्याँकन आख्या सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार (कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के अंत में) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति तथा शाखा समिति को दी जाएगी।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी तीसरे एवं चौथे फसल के मौसम में निम्न आधार पर मूल्याँकन करेगाः–

(i) रजबहा के शीर्ष, मध्य तथा अन्तिम छोर के उपक्षेत्र (रीच) में उपलब्ध जल का साम्यतापूर्ण वितरण;

(ii) परिचालन तथा अनुरक्षण कार्यों में की गई मितव्ययता;

(iii) वित्तीय संप्रेक्षण तथा लेखा पुस्तकों का अध्यावधिक रख रखाव;

(iv) सक्षम नहर अधिकारी को सींच दर्ज का विवरण समय से प्रस्तुत करना;

(v) नहर पर किये गये अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही;

(vi) अनाधिकृत जल उपयोग के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

(ग) पैरा–35(1)(ख) के अनुसार लगातार दो फसल सीजन तक कार्यों के मूल्याँकनों के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी यदि रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की कार्य निष्पादन में वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं तो सक्षम नहर अधिकारी सम्बन्धित रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति को निम्न प्रक्रिया के अनुसार विघटित करने की कार्यवाही कर सकता हैं :

(i) सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति को उसके विघटन हेतु नोटिस दिया जाएगा;

(ii) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सूचना के 15 दिवस के उपरान्त सम्बन्धित रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति की मूल्याँकन आख्या एवं समिति को दिये गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा, गणपूर्तिमुक्त, प्रस्तुत प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर मतदान की गोपनीयता को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा बनाये रखा जाएगा।

सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग करने की कार्यवाही का कार्यवृत्त **परिशिष्ट–11** पर दिये गये प्रारूप पर जारी किया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि निवर्तमान अध्यक्ष, जल रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति/शाखा समिति, समिति के निबंधक तथा अपीलीय अधिकारियों तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर किया जाएगा।

(2) **अनियमितता के आधार पर**:–यदि रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबंधन समिति की कार्य प्रणाली अनियमित प्रतीत होती है तो सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा सम्बन्धित निबंधक (अधीक्षण अभियन्ता) तथा शाखा समिति को सूचित किया जाएगा। निबंधक, यदि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर यह विचार करता है कि रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की कार्यकारिणी भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो वह रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति को भंग करने हेतु सक्षम नहर अधिकारी को निदेश देगा। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने पर रजबहा

समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबंधन समिति को भंग करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएगा;

(i) सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा तुरन्त अपनी अध्यक्षता में पैतृक शाखा समिति/समीपवर्ती शाखा समितियों की प्रबन्धन समिति के किन्हीं दो सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। समिति निबन्धक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या तैयार करेगी।

(ii) यदि समिति के दृष्टिकोण में सम्बन्धित प्रबन्धन समिति भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो सक्षम नहर अधिकारी निबंधक की पूर्व अनुमति लेकर प्रबन्धन समिति को भंग किये जाने की घोषणा करेगा। तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन 6 माह के अन्दर करेगा।

36. शाखा समिति का भंग किया जानाः–

(1) अक्षमता के आधार पर :–यदि शाखा समिति की प्रबन्धन समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में सक्षम नहर अधिकारी के सहयोग के उपरान्त भी असफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) प्रबन्धन समिति को भंग करने तथा नई प्रबन्धन समिति के गठन की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार कर सकता हैः

(क) सक्षम नहर अधिकारी शाखा समितियों के कार्यों का मूल्याँकन लगातार दो फसल सीजन तक निम्नलिखित तथ्यों पर करेगा :–

(i) दो सामान्य सभा की बैठक तथा पाक्षिक नियमित बैठक का आयोजन करना;

(ii) शेड्यूल बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना;

(iii) परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों की विवरणी का रख–रखाव;

(iv) प्रत्येक क्रय तथा विक्रय सम्बन्धी सामग्री के लेखों का रख–रखाव करना;

(v) संप्रेक्षण आख्या तथा जॉच आख्या की प्रतियों का रख–रखाव;

(vi) शिकायती पंजिका का रख–रखाव;

(vii) रोकड़ बही, पास बुक, चेक बुक को अध्यावधिक रखना;

(viii) समिति के अभिलेखों का रख–रखाव।

सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) यदि समिति के कार्यों मे कमी पाये तो वह उसे दूर करने/सुधारने मे समिति की सहायता करेगा। समिति को सुधारने तथा उसकी सहायता करने संबंधी आख्या एवं समिति की मूल्याँकन आख्या सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार (कम से कम प्रत्येक फसल सीजन के अंत में) शाखा समिति तथा परियोजना समिति को दी जाएगी।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी तीसरे एवं चौथे फसल के मौसम में निम्न आधार पर मूल्याँकन करेगाः–

(i) शाखा के शीर्ष, मध्य तथा अन्तिम छोर के उपक्षेत्र (रीच) में उपलब्ध जल का साम्यतापूर्ण वितरण;

(ii) वित्तीय संप्रेक्षण तथा लेखा पुस्तकों का अध्यावधिक रख रखाव;

(iii) नहर पर किये गए अपराधों के विरूद्ध की गई कार्यवाही;

(iv) अनाधिकृत जल उपयोग के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

(ग) पैरा–36(1)(ख) के अनुसार लगातार दो फसल सीजन तक कार्यों के मूल्यांकनों के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) यदि शाखा समितियों की कार्य निष्पादन में वांछित सुधार से संतुष्ट नहीं हैं तो सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) सम्बन्धित शाखा समिति को निम्न प्रक्रिया के अनुसार विघटित करने की कार्यवाही कर सकते हैं :

(i) सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा शाखा समिति को उसके विघटन हेतु नोटिस दिया जाएगा;

(ii) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सूचना के 15 दिवस के उपरान्त सम्बन्धित शाखा समिति की सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति की मूल्याँकन आख्या एवं समिति को दिये गये सहयोग की आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रबन्धन

समिति को भंग किये जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा, गणपूर्तिमुक्त, प्रस्तुत प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर मतदान की गोपनीयता को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा बनाये रखा जाएगा।

सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा प्रबन्धन समिति को भंग करने की कार्यवाही का कार्यवृत्त **परिशिष्ट–11** पर दिये गये प्रारूप पर जारी किया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि निवर्तमान अध्यक्ष, शाखा समिति/परियोजना समिति, समिति के निबंधक तथा अपीलीय अधिकारियों तथा संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी।

तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर किया जाएगा।

(2) **अनियमितता के आधार पर**:–यदि शाखा समिति की प्रबंध समिति की कार्य प्रणाली अनियमित प्रतीत होती है तो सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा सम्बन्धित निबंधक (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) तथा परियोजना समिति को सूचित किया जाएगा। निबंधक, यदि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर यह विचार करता है कि शाखा समिति की कार्यकारिणी भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो वह शाखा समिति को भंग करने हेतु सक्षम नहर अधिकारी को निदेश देगा। सक्षम नहर अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति को भंग करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएगा;

(i) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा तुरन्त अपनी अध्यक्षता में परियोजना समिति/समीपवर्ती परियोजना समितियों की प्रबन्धन समिति के किन्हीं दो सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। समिति निबन्धक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या तैयार करेगी।

(ii) यदि समिति के दृष्टिकोण में सम्बन्धित प्रबन्धन समिति भंग किये जाने हेतु उपयुक्त है तो सक्षम नहर अधिकारी निबंधक की पूर्व अनुमति लेकर प्रबन्धन

समिति को भंग किये जाने की घोषणा करेगा। तदोपरान्त नई प्रबन्धन समिति का गठन 6 माह के अन्दर करेगा।

37. **जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के भंग होने पर कार्यभार का हस्तान्तरणः**—किसी जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के भंग हो जाने पर उस जल उपभोक्ता समिति का कार्यभार **अध्याय—10** के अनुसार हस्तान्तरित हो जाएगा।

अध्याय–8
त्याग–पत्र एवं रिकॉल

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा–12 एवं 8(4), 9(3) तथा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के नियम–23 के अन्तर्गत त्याग–पत्र एवं रिकॉल की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी–

38. त्याग–पत्र की स्वीकृति–प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों के त्याग–पत्र की स्वीकृति निम्नानुसार की जाएगी–

(1) कुलाबा समितिः–

(i) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–12 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा। कुलाबा समिति के अध्यक्ष द्वारा त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(ii) कुलाबा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–13 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति यथा स्थिति सम्बन्धित अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति अथवा समिति के कार्यशील न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) द्वारा की जाएगी।

(iii) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा कुलाबा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी को लिखित रूप से दी जाएगी।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितिः–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के त्याग–पत्र की स्वीकृति अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष द्वारा सदस्य के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–12 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(ii) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–13 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति यथा स्थिति सम्बन्धित रजबहा समिति /फेडरेटेड

रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति अथवा समिति के कार्यशील न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा की जाएगी।

(iii) रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(3) रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति :–

(i) रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–12 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा की जाएगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा सदस्य के त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(ii) रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–13 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति यथा स्थिति सम्बन्धित शाखा समिति की प्रबन्धन समिति अथवा समिति के कार्यशील न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा की जाएगी।

(iii) शाखा समिति द्वारा रजबहा समिति /फेडरेटेड रजबहा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र के स्वीकृति की सूचना तत्काल संबंधित सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(4) शाखा समितिः–

(i) शाखा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–12 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति शाखा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष द्वारा सदस्य के त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(ii) शाखा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–13 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति यथा स्थिति सम्बन्धित परियोजना समिति की प्रबन्धन समिति अथवा समिति के कार्यशील न होने की दशा मे सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा की जाएगी।

(iii) परियोजना समिति द्वारा शाखा समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र के स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(5) परियोजना समितिः–

(i) परियोजना समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–12 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति परियोजना समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष द्वारा सदस्य के त्याग–पत्र की स्वीकृति की सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को लिखित रूप से दी जाएगी।

(ii) परियोजना समिति के अध्यक्ष के त्याग–पत्र **(परिशिष्ट–13 के प्रारूप पर)** की स्वीकृति सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) द्वारा की जाएगी।

39. प्रबंधन समिति के सदस्यों का वापस बुलाया जाना (रिकॉल):–प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य को सामान्य सभा के उन सदस्यों, जो प्रबन्धन समिति के उस सदस्य का निर्वाचन करते हैं, द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(1) कुलाबा समिति का सदस्य–

(क) कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर कुलाबा के उस सब–कमाण्ड, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है, के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना निबन्धक (अधिशासी अभियन्ता) को दी जाएगी।

(ख) यदि निबन्धक प्रस्तर 39–(1)(क) के अनुसार दी गई सूचना की सत्यता से सन्तुष्ट है तो वह सक्षम नहर अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि सम्बन्धित सब–कमाण्ड के सदस्यों की बैठक 7 दिन के भीतर बुलाए।

(ग) यदि इस बैठक में सब–कमाण्ड के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से सम्बन्धित सदस्य को अक्षम माना जाता है तो वह सदस्य बैठक की तिथि से पदच्युत हो जाएगा। बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–14** के अनुसार जारी किया जाएगा ।

(घ) इस पद्धति से वापस बुलाया गया सदस्य आगामी दो निर्वाचनों तक पुर्न–निर्वाचन/पुर्न–नामांकन हेतु योग्य नही माना जाएगा।

(च) यदि आवश्यक हो तो मतदान को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा गोपनीय बनाया रखा जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का सदस्य–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के उस रीच, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है, के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना निबन्धक (अधिशासी अभियन्ता) को दी जाएगी।

(ख) यदि निबन्धक प्रस्तर–39–(2)(क) के अनुसार दी गई सूचना से सन्तुष्ट है तो वह सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) से यह अपेक्षा करेगा कि सम्बन्धित रीच के सदस्यों की बैठक 7 दिन के भीतर बुलाए।

(ग) यदि इस बैठक में रीच के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से सम्बन्धित सदस्य को अक्षम माना जाता है तो वह सदस्य बैठक की तिथि से पदच्युत हो जाएगा। बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–14** के अनुसार जारी किया जाएगा ।

(घ) इस पद्धति से बुलाया गया सदस्य पुर्न–निर्वाचन/पुर्न–नामांकन हेतु आगामी दो निर्वाचनों तक योग्य नहीं होगा।

(च) यदि आवश्यक हो तो मतदान को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा गोपनीय बनाया रखा जाएगा।

(3) रजबहा समिति का सदस्य–

(क) रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर रजबहा के उस रीच, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ

है, के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना निबन्धक (अधीक्षण अभियन्ता) को दी जाएगी।

(ख) यदि निबन्धक प्रस्तर–39–(3)(क) के अनुसार दी गई सूचना की सत्यता से सन्तुष्ट है तो वह सक्षम नहर अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि सम्बन्धित रीच के सदस्यों की बैठक 7 दिन के भीतर बुलाए।

(ग) यदि इस बैठक में रीच के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से सम्बन्धित सदस्य को अक्षम माना जाता है तो वह सदस्य बैठक की तिथि से पदच्युत हो जाएगा। बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–14** के अनुसार जारी किया जाएगा ।

(घ) इस पद्धति से बुलाया गया सदस्य पुर्न–निर्वाचन/पुर्न–नामांकन हेतु आगामी दो निर्वाचनों तक योग्य नहीं होगा।

(च) यदि आवश्यक हो तो मतदान को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा गोपनीय बनाया रखा जाएगा।

(4) शाखा समिति का सदस्य–

(क) शाखा समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने पर शाखा के उस रीच, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है, के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना निबन्धक (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को दी जाएगी।

(ख) यदि निबन्धक प्रस्तर–39–(4)(क) के अनुसार दी गई सूचना की सत्यता से सन्तुष्ट है तो वह सक्षम नहर अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि सम्बन्धित रीच के सदस्यों की बैठक 7 दिन के भीतर बुलाए।

(ग) यदि इस बैठक में रीच के सदस्यों के बहुमत से सम्बन्धित सदस्य को अक्षम माना जाता है तो वह सदस्य बैठक की तिथि से अपना पद धारण करने से प्रवरित हो जाएगा। बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–14** के अनुसार जारी किया जाएगा।

(घ) इस पद्धति से बुलाया गया सदस्य पुर्न–निर्वाचन/पुर्न–नामांकन हेतु आगामी दो निर्वाचनों तक योग्य नहीं होगा।

(च) यदि आवश्यक हो तो मतदान को सक्षम नहर अधिकारी द्वारा गोपनीय बनाया रखा जाएगा।

अध्याय–9
सिंचाई प्रबन्धन का हस्तांतरण

40. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा–16 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली के नियम–29 के अन्तर्गत गठित एवं पंजीकृत जल उपभोक्ता समितियों को सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन का हस्तान्तरण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(1) सिंचाई विभाग द्वारा रजबहा एवं उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का सिंचाई प्रबन्धन रजबहा पर गठित एवं पंजीकृत रजबहा समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा। रजबहा के सिंचाई प्रबन्धन के हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं रजबहा समिति के अध्यक्ष के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के **अनुलग्नक–क** के अनुसार करार किया जाएगा।

(2) यदि किसी रजबहा से निकलने वाली अल्पिका पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन एवं पंजीकरण हो गया है, परन्तु रजबहा पर रजबहा समिति का गठन नहीं हुआ है तो ऐसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का सिंचाई प्रबन्धन सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा। ऐसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के सिंचाई प्रबन्धन के हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के **अनुलग्नक–क** के अनुसार करार किया जाएगा।

(3) यदि कोई अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका शाखा अथवा मुख्य नहर से सम्बद्ध है तथा उस पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन एवं पंजीकरण हो गया है तो ऐसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का सिंचाई प्रबन्धन सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा। ऐसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के सिंचाई प्रबन्धन के हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के **अनुलग्नक–क** के अनुसार करार किया जाएगा।

(4) जहाँ पर रजबहा एवं उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का गठन एवं पंजीकरण हो गया है, वहाँ पर रजबहा एवं उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का प्रबन्धन हस्तान्तरण सिंचाई विभाग द्वारा रजबहा समिति को किया जाएगा तथा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका का सिंचाई प्रबन्धन का हस्तान्तरण रजबहा

समिति द्वारा अल्पिका /फेडरेटेड अल्पिका समिति को किया जाएगा। ऐसे रजबहा के सिंचाई प्रबन्धन के हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं रजबहा समिति के अध्यक्ष के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के **अनुलग्नक–क** के अनुसार करार किया जाएगा।

(5) जहाँ पर किसी रजबहा एवं उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का गठन एवं पंजीकरण हो गया है वहाँ पर रजबहा समिति द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के सिंचाई प्रबन्धन के हस्तान्तरण हेतु रजबहा समिति के अध्यक्ष एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के **अनुलग्नक–ख** के अनुसार करार किया जाएगा।

(6) यदि किसी रजबहा पर रजबहा समिति का गठन नहीं हुआ है, परन्तु उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के गठन एवं पंजीकरण के पश्चात् अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के सिंचाई प्रबन्धन हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के मध्य **अनुलग्नक–क** पर करार गठित हो चुका है, परन्तु कुछ समय बाद रजबहा समिति का गठन एवं पंजीकरण हो जाने पर निम्न कार्यवाही की जाएगी–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के सिंचाई प्रबन्धन हस्तान्तरण हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष के मध्य **अनुलग्नक–क** पर गठित करार को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ख) प्रस्तर–40(1) एवं प्रस्तर–40(5) के अनुसार नया करार गठित कर सिंचाई प्रबन्धन हस्तान्तरित किया जाएगा।

(7) यदि कोई अल्पिका किसी मूल अल्पिका (रजबहा, शाखा अथवा मुख्य नहर से सीधे निकलने वाली अल्पिका) से निकली है तो उसका प्रबन्धन हस्तान्तरण उस अल्पिका पर बनी अल्पिका समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा। हस्तान्तरण में अनुबन्ध की कार्यवाही यह मानकर की जाएगी कि अल्पिका उस रजबहा, शाखा अथवा मुख्य नहर से निकली है जिस रजबहा, शाखा अथवा मुख्य नहर से मूल अल्पिका निकली है।

(8) यदि कोई रजबहा किसी मूल रजबहा (शाखा अथवा मुख्य नहर से सीधे निकलने वाली रजबहा) से निकली है तो उसका प्रबन्धन हस्तान्तरण उस रजबहा पर बनी

रजबहा समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा। हस्तान्तरण में अनुबन्ध की कार्यवाही यह मानकर की जाएगी कि रजबहा उस शाखा अथवा मुख्य नहर से निकली है जिस शाखा अथवा मुख्य नहर से मूल रजबहा निकली है।

(9) करार में निम्नलिखित अभिलेख सम्मिलित किए जाएंगेः–

(i) लैण्ड प्लान मानचित्र

(ii) कमाण्ड मानचित्र

(iii) नहर की डिजाइन का विवरण

(iv) नहर पर बनी संरचनाओं का विवरण

(v) नहर कमाण्ड में आने वाली परिसम्पत्तियों का विवरण

(vi) कुलाबों एवं उसकी दहन क्षमता आदि का विवरण

(vii) नहर का इण्डेक्स मानचित्र

(viii) वाक–थ्रू आधारित भौतिक सत्यापन का अभिलेख

(ix) कृषको की इलेक्ट्रानिक सूची

(x) सिंचाई विभाग के अधिनियम व नियमावली की प्रति

(xi) जल दरों की अनुसूची

(10) अनुबन्ध गठित करने से पहले सिंचाई प्रबन्धन हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली रजबहा/अल्पिका एवं उससे सम्बन्धित समस्त संरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों तथा लैण्ड प्लान आदि का यथा स्थित सम्बन्धित रजबहा/अल्पिका समिति के साथ वाक–थ्रू कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

(11) राज्य सरकार द्वारा जब तक स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त न कर दिया जाए तब तक अनुबन्ध का गठन रूपया 100.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा। उक्त स्टाम्प पेपर विभाग द्वारा क्रय किया जाएगा।

(12) अनुबन्ध तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति प्रथम पक्षकार के पास, एक प्रति द्वितीय पक्षकार के पास तथा एक प्रति निबन्धक के पास रहेगी।

अध्याय–10
जल उपभोक्ता समिति के विद्यमान न होने पर सिंचाई प्रबन्धन के कार्यभार का हस्तान्तरण

41. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा–5 के अन्तर्गत किसी स्तर की जल उपभोक्ता समिति के विद्यमान न होने (गठित न हुई हो अथवा भंग कर दी गई हो) पर उस जल उपभोक्ता समिति का कार्यभार निम्नानुसार स्वतः हस्तान्तरित हो जाएगा–

(1) **कुलाबा समितिः**–यदि किसी कुलाबा पर कुलाबा समिति विद्यमान न हो तो उसका कार्यभार सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को हस्तान्तरित हो जाएगा परन्तु यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति भी विद्यमान न हो तो उस कुलाबा समिति का कार्यभार सक्षम नहर अधिकारी (अवर अभियन्ता) को हस्तान्तरित हो जाएगा।

(2) **अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितिः**–यदि किसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति विद्यमान न हो तो उसका कार्यभार सम्बन्धित रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति को हस्तान्तरित हो जाएगा परन्तु यदि रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति भी विद्यमान न हो तो उस अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति का कार्यभार सक्षम नहर अधिकारी (सहायक अभियन्ता) को हस्तान्तरित हो जाएगा।

(3) **रजबहा समितिः**–यदि किसी रजबहा/फेडरेटेड रजबहा पर रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति विद्यमान न हो तो उसका कार्यभार सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता) को हस्तान्तरित हो जाएगा।

(4) **शाखा समितिः**–यदि किसी शाखा पर शाखा समिति विद्यमान न हो तो उसका कार्यभार सक्षम नहर अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को हस्तान्तरित हो जाएगा।

(5) **परियोजना समितिः**–यदि किसी परियोजना पर परियोजना समिति विद्यमान न हो तो उसका कार्यभार सक्षम नहर अधिकारी (मुख्य अभियन्ता स्तर–2) को हस्तान्तरित हो जाएगा।

अध्याय–11
जल उपभोक्ता समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–18, 19 एवं 20 में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के दायित्व निम्नवत् निर्धारित हैः–

42. अध्यक्ष के दायित्व :–जल उपभोक्ता समितियों के अध्यक्षों के दायित्व निम्नवत् होंगे–

(1) कुलाबा समिति :–

(i) कुलाबा समिति के कार्यो को लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप में सम्पादित करना;

(ii) सामान्य सभा की बैठकों और प्रबन्धन समिति की बैठकों, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी स्थिति हो, की लोकतांत्रिक एवं शान्तपूर्ण माहौल में अध्यक्षता करना;

(iii) प्रबन्धन समिति या सामान्य सभा की बैठकों में किसी बिन्दु पर बराबर मत पड़ने की दशा में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना;

(iv) किसी भी अन्य फोरम या प्राधिकारी की बैठकों में कुलाबा के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना;

(v) साम्यपूर्ण जल वितरण का अनुश्रवण करना;

(vi) सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक एवं अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रतिवेदन, प्राक्कलन, पत्र आदि भेजना;

(vii) निबन्धक एवं सक्षम नहर अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना;

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति :–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के कार्यो को लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप में सम्पादित करना;

(ii) सामान्य सभा की बैठकों और प्रबन्धन समिति की बैठकों, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी स्थिति हो, की लोकतांत्रिक एवं शान्तपूर्ण माहौल में अध्यक्षता करना;

(iii) प्रबन्धन समिति या सामान्य सभा की बैठकों में किसी बिन्दु पर बराबर मत पड़ने की दशा में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना;

(iv) किसी भी अन्य फोरम या प्राधिकारी की बैठकों में अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना;

(v) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की उपसमिति गठित करना;

(vi) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों हेतु यथास्थिति खण्डीय अधिकारियों अथवा निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन से धन की मांग करना;

(vii) साम्यपूर्ण जल वितरण का अनुश्रवण करना;

(viii) अपने परिचालन क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए कार्य पर लगाना तथा लगाये गये व्यक्ति के मानदेय इत्यादि पर निर्णय लेना;

(ix) सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक एवं उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की प्रतिवेदन, प्राक्कलन, पत्र आदि भेजना;

(x) वाक–थ्रू सर्वेक्षण करना तथा विशिष्ट आमंत्रियों को बैठक में बुलाना;

(xi) निबन्धक एवं सक्षम नहर अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना;

(xii) निष्पादित कार्यों के वाउचर को भुगतान हेतु पारित करना।

(3) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति :–

(i) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के कार्यो को लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप में सम्पादित करना;

(ii) सामान्य सभा की बैठकों और प्रबन्धन समिति की बैठकों, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी स्थिति हो, की लोकतांत्रिक एवं शान्तपूर्ण माहौल में अध्यक्षता करना;

(iii) प्रबन्धन समिति या सामान्य सभा की बैठकों में किसी बिन्दु पर बराबर मत पड़ने की दशा में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना;

(iv) किसी भी अन्य फोरम या प्राधिकारी की बैठकों में रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना;

(v) रजबहा समिति की उपसमिति गठित करना;

(vi) रजबहा समितियों हेतु यथास्थिति खण्डीय अधिकारियों अथवा निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन से धन की मांग करना;

(vii) साम्यपूर्ण जल वितरण का अनुश्रवण करना;

(viii) रजबहा समिति के परिचालन क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए कार्य पर लगाना तथा लगाये गये व्यक्ति के मानदेय इत्यादि पर निर्णय लेना;

(ix) सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक एवं उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की प्रतिवेदन, प्राक्कलन, पत्र आदि भेजना;

(x) रजबहा कमाण्ड में वाक–थ्रू सर्वेक्षण करना तथा विशिष्ट आमंत्रियों को बैठक में बुलाना;

(xi) निबन्धक एवं सक्षम नहर अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना;

(xii) निष्पादित कार्यों के वाउचर को भुगतान हेतु पारित करना।

(4) शाखा समिति :–

(i) शाखा समिति के कार्यो को लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूप में सम्पादित करना;

(ii) सामान्य सभा की बैठकों और प्रबन्धन समिति की बैठकों, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी स्थिति हो, की लोकतांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण माहौल में अध्यक्षता करना;

(iii) प्रबन्धन समिति या सामान्य सभा की बैठकों में किसी बिन्दु पर बराबर मत पड़ने की दशा में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना;

(iv) किसी भी अन्य फोरम या प्राधिकारी की बैठकों में शाखा समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना;

(v) शाखा समितियों हेतु यथास्थिति खण्डीय अधिकारियों अथवा निदेशक, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन से धन की मांग करना;

(vi) साम्यपूर्ण जल वितरण का अनुश्रवण करना;

(vii) सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक एवं उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की प्रतिवेदन, पत्र आदि भेजना;

(viii) निबन्धक एवं सक्षम नहर अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना।

43. सचिव के दायित्व :–जल उपभोक्ता समिति के सचिव के दायित्व निम्नवत् होंगे–

(1) कुलाबा समिति :–

(i) कुलाबा समिति के अध्यक्ष को कुलाबा समिति के कार्य निर्वहन में सहायता करना;

(ii) कुलाबा समिति की सामान्य सभा की बैठक और प्रबंधन समिति की नियमित, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी भी स्थिति हो, बैठकें आयोजित करना;

(iii) अध्यक्ष की सहमति से बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलिखित और अनुरक्षित करना;

(iv) प्रबन्धन समिति के आदेश और संकल्प निर्गत करना;

(v) कुलाबा समिति के सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करना;

(vi) सभी स्वीकृतियों, आदेशों, निर्णयों, सूचनाओं तथा प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की सूचनाओं को अभिप्रमाणित करना।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति :–

(i) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष को अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के कार्य निर्वहन में सहायता करना;

(ii) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की सामान्य सभा की बैठक और प्रबंधन समिति की नियमित, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी भी स्थिति हो, बैठकें आयोजित करना;

(iii) अध्यक्ष की सहमति से बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलिखित और अनुरक्षित करना;

(iv) प्रबन्धन समिति के आदेश और संकल्प निर्गत करना;

(v) जल उपभोक्ता समिति के सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करना;

(vi) कोषाध्यक्ष के साथ जल उपभोक्ता समिति का खाता संयुक्त रूप से संचालित करना;

(vii) अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा कराना;

(viii) सभी स्वीकृतियों, आदेशों, निर्णयों, सूचनाओं तथा प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की सूचनाओं को अभिप्रमाणित करना।

(3) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति :–

(i) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के अध्यक्ष को रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के कार्य निर्वहन में सहायता करना;

(ii) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की सामान्य सभा की बैठक और प्रबंधन समिति की नियमित, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी भी स्थिति हो, बैठकें आयोजित करना;

(iii) अध्यक्ष की सहमति से बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलिखित और अनुरक्षित करना;

(iv) प्रबन्धन समिति के आदेश और संकल्प निर्गत करना;

(v) रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करना;

(vi) कोषाध्यक्ष के साथ रजबहा समिति का खाता संयुक्त रूप से संचालित करना;

(vii) अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा रजबहा समिति के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा कराना;

(viii) सभी स्वीकृतियों, आदेशों, निर्णयों, सूचनाओं तथा प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की सूचनाओं को अभिप्रमाणित करना।

(4) **शाखा समिति :–**

(i) शाखा समिति के अध्यक्ष को शाखा समिति के कार्य निर्वहन में सहायता करना;

(ii) शाखा समिति की सामान्य सभा की बैठक और प्रबंधन समिति की नियमित, पाक्षिक अथवा मासिक जैसी भी स्थिति हो, बैठकें आयोजित करना;

(iii) अध्यक्ष की सहमति से बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलिखित और अनुरक्षित करना;

(iv) प्रबन्धन समिति के आदेश और संकल्प निर्गत करना;

(v) जल उपभोक्ता समिति के सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करना;

(vi) कोषाध्यक्ष के साथ शाखा समिति का खाता संयुक्त रूप से संचालित करना;

(vii) अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा कराना;

(viii) सभी स्वीकृतियों, आदेशों, निर्णयों, सूचनाओं तथा प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की सूचनाओं को अभिप्रमाणित करना।

44. **कोषाध्यक्ष के दायित्वः–**जल उपभोक्ता समिति के कोषाध्यक्ष के दायित्व निम्नवत् होंगे–

(1) **कुलाबा समिति :–**कुलाबा समिति में कोषाध्यक्ष का पद नहीं है।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा/शाखा समितिः–

(i) सभी प्राप्तियों, व्यय से सम्बन्धित रसीदों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को अनुरक्षित करना;

(ii) रोकड़ बही, चेक बुक, पास बुक, बिल व अन्य पंजियों को अनुरक्षित व अपडेट करना;

(iii) प्राधिकृत लेखा परीक्षक से वित्तीय लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा कराना;

(iv) वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करना;

(v) अध्यक्ष के आदेश पर भुगतान करना;

(vi) विभिन्न श्रोतों से धन प्राप्त करना।

अध्याय–12
अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की उप समितियों का गठन एवं कर्तव्य

45. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–21 में रजबहा/अल्पिका समिति की उप समितियों के गठन एवं उनके दायित्व का निर्धारण निम्नवत् किया गया है:–

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की उपसमितियाँ

(क) निर्माण कार्य उपसमिति

(ख) सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति

(ग) जाँच उपसमिति

(घ) वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति

रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति की उपसमितियाँ

(क) निर्माण कार्य उपसमिति

(ख) सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति

(ग) जाँच उपसमिति

(घ) वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति

उपसमितियों का गठन

(क) प्रत्येक उपसमिति तीन सदस्यीय होगी जो यथास्थित अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी।

(ख) प्रत्येक उपसमिति में एक अध्यक्ष होगा जो यथास्थित अल्पिका/रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति का सदस्य होगा। समिति के पदाधिकारियों को नियमावली के नियम–7(5) की स्थिति के अतिरिक्त किसी भी दशा में उप समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा।

(ग) परिचालन क्षेत्र से अल्पिका/ रजबहा समिति के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा चयनित और प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित ऐसी योग्यता, जैसी प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित की जाये, रखने वाले दो अन्य सदस्य उपसमिति के सदस्य होंगे।

(घ) अल्पिका/रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा योग्यता का निर्धारण **परिशिष्ट–15** के प्रारूप पर किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा इस प्रारूप की प्रति सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी।

(च) अध्यक्ष द्वारा उप समिति का गठन **परिशिष्ट–16** के प्रारूप पर किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा **परिशिष्ट–16** की प्रति सक्षम नहर अधिकारी, उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति तथा निबन्धक को दी जाएगी।

उपसमितियों के कर्तव्यः– उप समितियों के दायित्व निम्नवत् निर्धारित हैंः–

(क) निर्माण कार्य उपसमिति के कर्तव्य :–

(i) निर्माण कार्यों का व्यय अनुमान तैयार करना तथा इसके प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रबन्धन समिति को प्रस्तुत करना;

(ii) प्रशासनिक रूप से अनुमोदित व्यय अनुमान पर सक्षम अधिकारी का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना तथा टेण्डर एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्यवाही करना;

(iii) कार्यों की देखरेख करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना;

(iv) निष्पादित कार्यों की माप अभिलिखित करना;

(v) कार्यों की प्रगति और प्रक्रिया का अनुश्रवण करना

(ख) सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति के कर्तव्य :–

(i) साम्यपूर्ण जल वितरण का अनुश्रवण करना;

(ii) वारबन्दी तैयार करने और क्रियान्वयन में कुलाबा समिति की सहायता तथा अनुश्रवण करना;

(iii) सिंचित क्षेत्र के अंकन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना;

(iv) सिंचाई जल के दक्ष उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(v) सहयुक्त जल के उपयोग को प्रोत्साहित करना

(ग) जाँच उपसमिति के कर्तव्य :–

(i) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के कार्यक्षेत्र में नहर पर किये गये अपराधों की जॉच करना और इसकी रिपोर्ट प्रबन्धन समिति को प्रस्तुत करना;

(ii) सक्षम न्यायालय में अपराध की जाँच से सम्बन्धित साक्ष्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करना;

(iii) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के विवादों का निपटारा करना;

(iv) विवादों पर प्रबंधन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(घ) वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति के कर्तव्य :–

(i) जल शुल्क की वसूली का अनुश्रवण करना तथा प्रोत्साहित करना;

(ii) माह में हुए सभी व्ययों की पुनरीक्षा करना तथा प्रबन्धन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) विभिन्न सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त करना;

(iv) कोषाध्यक्ष को वित्तीय प्रबन्धन में सहायता प्रदान करना;

(v) निष्पादित कार्यों के मापन पश्चात् भुगतान हेतु बीजक तैयार करना।

अध्याय–13
जल उपभोक्ता समितियों की बैठक

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अनुसूची–6 के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर की जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक निम्नानुसार की जाएगीः–

46. प्रबन्धन समिति की बैठकः–

(1) प्रबन्धन समिति की बैठक प्रत्येक माह मे कम से कम एक बार अध्यक्ष की ओर से सचिव द्वारा आहूत की जाएगी। बैठक मे समिति की समस्याओं एवं योजनाओं पर चर्चा की जाएगी तथा बैठक का कार्यवृत्त सचिव द्वारा प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु निर्धारित पंजिका में अंकित किया जाएगा।

(2) बैठक की तिथि एवं स्थान का निर्धारण प्रबन्धन समिति की सहमति से जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसकी सूचना सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी। बैठक हेतु तिथि/दिवस व स्थल/स्थलों का निर्धारण एक बार कर लिए जाने के पश्चात् आगामी मासिक बैठकों के लिए निर्धारित तिथि/दिवस व स्थल/स्थलों में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त आकस्मिक कारण से प्रबन्धन समिति की बैठक किसी भी समय निम्न द्वारा बुलाई जा सकती हैः–

- अध्यक्ष द्वारा
- प्रबन्धन समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पर
- उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति द्वारा
- सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक अथवा सरकार द्वारा

(4) प्रबन्धन समिति की कार्यवाही कोरम हेतु आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति पर ही हो सकती है। प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाएगा।

47. सामान्य सभा की बैठकः–

(1) प्रत्येक फसल सीजन से पूर्व कम से कम एक बार सामान्य सभा की बैठक की जाएगी। खरीफ फसल सीजन के पूर्व दिनांक 15 अप्रैल से 31 मई के मध्य तथा रबी फसल सीजन के पूर्व 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के मध्य सामान्य सभा की बैठक

आहूत की जाएगी। दिनांक 15 अप्रैल से 31 मई के मध्य की सामान्य सभा की बैठक में गत रबी फसल सीजन के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाही एवं प्रगति का ब्यौरा **परिशिष्ट–17क** पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के मध्य की सामान्य सभा की बैठक में गत खरीफ फसल सीजन के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाही एवं प्रगति का ब्यौरा **परिशिष्ट–17क** पर प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। सामान्य सभा के समक्ष उक्त ब्योरा एवं प्रस्ताव सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त समिति के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सामान्य सभा की बैठक किसी भी समय निम्न दशा मे बुलाई जा सकती है:

- अध्यक्ष द्वारा
- कार्यकारिणी के एक तिहाई सदस्यों द्वारा
- मतदान का अधिकार रखने वाले कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षरित अधियाचन द्वारा
- उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति द्वारा
- सक्षम नहर अधिकारी अथवा निबन्धक अथवा सरकार द्वारा

(3) सामान्य सभा की बैठक की सूचना समिति के सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम 7 दिन पूर्व स्थान, तिथि, समय तथा कार्यसूची को विनिर्दिष्ठ करते हुए दी जाएगी। आकस्मिकता की स्थति में बैठक 3 दिन की अग्रिम सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। सूचना सब सदस्यों को मालूम हो जाए इसके लिए सचिव अपने विवेक से सर्वाधिक उपयुक्त साधन तय कर सकते हैं। सूचना को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया जाएगा।

(4) सामान्य सभा के कोरम हेतु कुल सदस्यों की संख्या के 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। सामान्य सभा की कार्यवाही कोरम हेतु आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति पर ही हो सकती है। यदि कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक स्थगित समझी जाएगी और इसका आयोजन प्रबन्धन समिति की राय से एक सप्ताह के भीतर किसी अन्य तिथि को उसी प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार दुबारा बुलाई गई बैठक में

कोरम पूर्ण होने की बाध्यता नहीं रहेगी परन्तु उपस्थित सदस्यों द्वारा केवल बैठक हेतु पूर्व निर्धारित कार्यसूची पर ही विचार किया जाएगा।

(5) सामान्य सभा की बैठक का कार्यवृत्त समिति के अध्यक्ष की सहमति से समिति के सचिव द्वारा जारी किया जाएगा जिसकी प्रति संबंधित समक्ष नहर अधिकारी तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को प्रेषित की जाएगी।

(6) सामान्य सभा की बैठक की कार्यसूची में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर ही विचार किया जाएगा। किसी अन्य मुद्दे पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत पूर्ण विनिश्चिय के बिना विचार–विमर्श नहीं किया जाएगा।

(7) सक्षम नहर अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सामान्य सभा की बैठकों की वीडियोग्राफी आदि कराएं तथा प्रबन्धन समिति को सामान्य सभा की बैठकों की वीडियोग्राफी हेतु प्रोत्साहित करें। सामान्य सभा की बैठक का कार्यवृत्त समिति के अध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा निर्धारित पंजिका में **(परिशिष्ट–17 पर दिए गए प्रारूप पर)** अंकित किया जाएगा। जिसकी प्रति सक्षम नहर अधिकारी तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को प्रेषित की जाएगी।

(8) फसल सीजन से पूर्व की सामान्य सभा में कृषि विभाग, कमाण्ड एरिया विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

अध्याय–26
अभियन्ता, लेखाकार की नियुक्ति एवं दैनिक कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने तथा पदाधिकारियों को मानदेय देने की प्रक्रिया

116. रजबहा समिति द्वारा अभियन्ता एवं लेखाकार की नियुक्तिः–उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–34 के अन्तर्गत रजबहा समिति द्वारा अभियन्ता एवं लेखाकार नियुक्त करने में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी–

(1) रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा अभियन्ता एवं लेखाकार की सेवा शर्तें एवं वेतन तथा भत्ते के निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक रूप से समाहित किए जाएगें–

- शैक्षिक योग्यता
- वेतन एवं भत्ते
- अभियन्ता एवं लेखाकार की संख्या
- नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया
- कार्यक्षेत्र एवं कार्य विवरण
- रजबहा समिति, समस्त अल्पिका समितियों एवं समस्त फेडरेटेड अल्पिका समितियों द्वारा व्यय वहन के प्रतिशत का निर्धारण
- अन्य

(2) अभियन्ता एवं लेखाकार की सेवा शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते आदि के निर्धारण का प्रस्ताव तैयार करने में रजबहा समिति सक्षम नहर अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकती है। सक्षम नहर अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रस्ताव तैयार कराने में रजबहा समिति की हर सम्भव सहायता करे।

(3) प्रस्तर–116(1) के अनुसार तैयार प्रस्ताव पर रजबहा समिति की सामान्य सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। सामान्य सभा की बैठक में सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सामान्य सभा द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन तभी माना जाएगा जब सामान्य सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत

द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या कोरम हेतु निर्धारित सदस्यों की संख्या से कम होने पर प्रस्ताव अनुमोदित नहीं माना जाएगा।

(4) सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की एक प्रति रजबहा समिति की सामान्य सभा की बैठक की पंजिका में चस्पा की जाएगी। अनुमोदित प्रस्ताव की एक प्रति सक्षम नहर अधिकारी को तथा एक प्रति रजवहा से सम्बद्ध समस्त अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों को दी जाएगी।

(5) सामान्य सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबन्धन समिति द्वारा अभियन्ता एवं लेखाकार की नियुक्ति की जाएगी तथा नियुक्ति पत्र अध्यक्ष, रजबहा समिति द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(6) रजबहा समिति के सचिव का यह दायित्व होगा कि रजवहा समिति द्वारा नियुक्ति अभियन्ताओं तथा लेखाकारों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल सक्षम नहर अधिकारी को उपलब्ध कराए।

(7) सक्षम नहर अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि इस कार्य हेतु रजबहा की सामान्य सभा के समस्त सदस्यों को सूचित कर दिया गया है।

(8) रजबहा समिति द्वारा नियुक्त अभियन्ता एवं लेखाकार द्वारा रजबहा समिति तथा रजबहा समिति से सम्बद्ध समस्त अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा।

(9) अभियन्ता एवं लेखाकारों के वेतन व भत्तों पर आने वाले व्यय का वहन रजबहा समिति तथा रजबहा समिति से सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति समितियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(10) रजबहा समिति एवं उससे सम्बद्ध अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों के मध्य अभियन्ता एवं लेखाकार की सेवाओं एवं व्यय वहन से सम्बन्धित उत्पन्न किसी विवाद का समाधान शाखा समिति द्वारा किया जाएगा। शाखा समिति के न होने पर सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा किया जाएगा।

(11) अभियन्ता एवं लेखाकारों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा अथवा उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी सूचना सक्षम नहर अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को दी जाएगी।

(12) किसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि निम्नानुसार होगीः–

(क) अल्पिका समिति द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि = (समस्त अल्पिका समितियों द्वारा वहन की जाने वाली निर्धारित कुल धनराशि) X (अल्पिका का कमाण्ड क्षेत्रफल/समस्त अल्पिकाओं का कुल कमाण्ड क्षेत्रफल)

(ख) फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि = (समस्त फेडरेटेड अल्पिका समितियों द्वारा वहन की जाने वाली निर्धारित कुल धनराशि) X (फेडरेटेड अल्पिका का कमाण्ड क्षेत्रफल / समस्त फेडरेटेड अल्पिका समितियों का समस्त कमाण्ड क्षेत्र)

(13) प्रत्येक अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा प्रस्तर–116(12) के अनुसार निर्धारित धनराशि रजबहा समिति के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी। धनराशि के हस्तान्तरण का अनुश्रवण एवं हस्तान्तरण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सक्षम नहर अधिकारी की होगी।

(14) अभियन्ता एवं लेखाकारों का भुगतान रजबहा समिति द्वारा किया जाएगा।

(15) रजबहा समिति द्वारा नियुक्त अभियन्ता एवं लेखाकार को प्रशिक्षित कराने का दायित्व अधिशासी अभियन्ता को होगा।

117. अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा दैनिक कार्मिक की सेवाएं प्राप्त करनाः– उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन, 2009 की धारा–26(2) के अन्तर्गत अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा अपने दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु सेवाएं निम्नानुसार प्राप्त की जा सकेंगीः–

(1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु समय–समय पर यथा आवश्यक कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है–

- सींच अंकन करने हेतु;

- जल शुल्क वसूलने हेतु;
- जल वितरण करने एवं उसकी देख–रेख करने;
- कोई अन्य कार्य।

(2) उक्त उप प्रस्तर–117(1) में वर्णित कार्यों का सम्पादन कुलाबा समिति/अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति के सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है।

(3) कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति को देय–दैनिक मानदेय का निर्धारण सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) उक्त उप प्रस्तर–117(1) में वर्णित कार्यों में आने वाले व्यय का वहन अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से किया जाएगा।

(5) दैनिक मानदेय का भुगतान करने हेतु भुगतान रसीद **(परिशिष्ट–61)** रखी जाएगी। जो भुगतान के पश्चात् वाउचर का कार्य करेगी।

118. पदाधिकारियों के मानदेय एवं भत्ते का निर्धारणः–जल उपभोक्ता समितियों द्वारा अपने पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) को पारिश्रमिक (मानदेय) एवं भत्ते देने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(1) प्रबन्धन समिति द्वारा पदाधिकारियों हेतु पारिश्रमिक तथा भत्तों दिये जाने का प्रस्ताव (प्रस्ताव में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को दिए जाने वाले मानदेय एवं भत्ता का विवरण समाहित होगा) तैयार कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;

(2) पदाधिकारियों के पारिश्रमिक तथा भत्तों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के मानदेय एवं भत्तों को मिलाकर) पर कुल वार्षिक व्यय की अधिकतम सीमा वार्षिक बजट की 5 प्रतिशत होगी;

(3) प्रस्ताव सामान्य सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा;

(4) सामान्य सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की संख्या सामान्य सभा के कुल सदस्यों से 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(5) उक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव के पश्चात् पदाधिकारीगण आगामी वित्तीय वर्ष से पारिश्रमिक व भत्ते पाने के लिए हकदार हो सकेंगे;